Table of Annexure

Annex. No. 1.1	Notification Regarding Constitution of Fourth State Finance Commission
Annex. No. 1.2	Notification Regarding appointment of Secretary of Fourth State Finance Commission
Annex. No. 1.3	Notification Regarding Term of Reference for Fourth State Finance Commission
Annex. No. 1.4	Notification Regarding Extension in Tenure of Fourth State Finance Commission
Annex. No. 1.5	Notification Regarding 2nd Extension in Tenure of Fourth State Finance Commission
Annex. No. 1.6	Details of Meetings Held with Local Bodies
Annex. No. 1.7	State Government Officials with whom the Commission discussed.
Annex. No. 1.8	Participation in various Seminars by State Finance Commission
Annex. No. 3.1	Calculating State Tax Collection Cost
Annex. No. 3.2	Details of amounts actually transferred directly to local bodied from the state's own tax revenue, in the form of assigned receipts
Annex. No. 3.3	Assessment of the amount to be transferred to local bodies on the recommendation of the State Finance Commission
Annex. No. 3.4	Action Taken Report of the State Government on the recommendations of the Third State Finance Commission (ATR)
Annex. No. 6.1	Number of Panchayati Raj Institution in the State
Annex. No. 6.2	Average Population of Zila Panchayat, According to Census 2011
Annex. No. 6.3	List of PESA Panchayat in Chhattisgarh
Annex. No. 6.4	Number of Urban Local Bodies at the District level
Annex. No. 6.5	Population of Nagar Nigam According to Census 2011
Annex. No. 6.6	Population of Nagar Palika Parishad According to Census 2011
Annex. No. 6.7	Population of Nagar Panchayat according to census 2011
Annex. No. 7.1	Sample Size approved by fourth SFC
Annex. No. 7.2	Availability of Private and Public toilets in Panchayat areas
Annex. No. 7.3	Status of tap water scheme in rural panchayat area
Annex. No. 7.4	Set of Criteria for water Quality
Annex. No. 7.5	Progress of Jal Jivan Mission
Annex. No. 7.6	Drainage and Solid Waste Disposal in rural panchayat area.
Annex. No. 7.7	Status of Street light in Panchayat area
Annex. No. 7.8	Anganwadi and Mitanni in Panchayat area
Annex. No. 7.9	Availability of Schools in Panchayat Ares
Annex. No. 8.1	Notification Regarding Abkari Shulk
Annex. No. 11.1	Notification Regarding Devolution of Fund's to the Local bodies from gov. of odisha State from Government
Annex. No. 12.1	Data Required for Calculation of Benchmarks and Information About Calculation of Benchmarks
Annex. No. 12.2	Estimated population of Chhattisgarh

Annex. No. 12.3	Calculation of required capita expenditure for gram panchayats
Annex. No. 12.4	Cost of Paving Unpaved Roads in Urban Bodies
Annex. No. 12.5	Construction Cost of Roads Without Drains
Annex. No. 12.6	Cost of Street lighting In Roads Without Street Lights
Annex. No. 12.7	Required Capital Expenditure for Additional Population of Urban Bodies
Annex. No. 12.8	Receipts of PRIs From Own Sources
Annex. No. 12.9	Actual Receipts of PRIs In Other Heads (Excluding Income from Own Sources)
Annex. No. 12.10	Projected Receipts of PRIs During 2025-26 To 29-30
Annex. No. 12.11	Total Income of Urban Bodies from Their Own Sources
Annex. No. 12.12	Actual Receipts of Local Bodies in Other Heads During 2017-18 To 2021-22
Annex. No. 12.13	Projected Receipts of Urban Bodies From 2025-26 To 2029-30 Under Various Heads
Annex. No. 12.14	Receipt of Taxes/Cess Payables as Assigned receipted to Local Bodies
Annex. No. 12.15	List of officials/Employees in Fourth State Finance Commission

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021 — श्रावण 8, शक 1943

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

अधिसूचना

कमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री सरजियस मिंज, अध्यक्ष होंगे।

2. आयोग के अध्यक्ष, ऐसी तारीख, जिस पर वे पदभार ग्रहण करते है, से 31 जुलाई, 2023 तक पद धारण करेंगे।

3. आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी।

4. आयोग, उपरोक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2023 तक या उससे पूर्व उपलब्ध करायेगा। आयोग यह भी उपदर्शित करेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद मिश्रा, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

कमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना कमांक 37, दिनांक 29 जुलाई, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद मिश्रा, उप–सचिव.

Annexure – 1.2

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग,
'मंत्रालय'
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

अटल नगर, दिनांक 2 /02/2022

क्रमांक 87 /1037/2021/स्था./चार ::: राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सतीश पाण्डेय, सेवानिवृत्त अपर सचिव, (छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी) वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में प्रावधान अनुसार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर के पद पर एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2/2/2022
(प्रेमा गुलाब एक्का)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 88 /1037/2021/स्था./चार, अटल नगर, दिनांक 2 /02/2022

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
05. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
06. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
07. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
08. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटल नगर
09. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
10. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग (वित्त आयोग प्रकोष्ठ), मंत्रालय, अटल नगर
11. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, नवा रायपुर/रायपुर
12. सबंधित अधिकारी ----------
13. आदेश फोल्डर

------- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

2/2/2022
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
–::मंत्रालय::–
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
———00———

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23 मार्च, 2022

क्रमांक 27 / 14 / वित्त / विआप्र / चार / 2021 – यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 का अनुसरण करते हुए, अधिसूचना क्रमांक 37 / 14 / वित्त / विआप्र / चार / 2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ एवं 243 ञ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा देगा–

1. (क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण जो संविधान के भाग 9 और 9क के अधीन उनमें विभाजित किए जायें को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों और नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो), के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी; और

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान।

(ख) पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों और अनुशंसाएं करने सहित निम्नलिखित के संबंध में–

(एक) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेतर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण, और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को

चिन्हांकित करने, विशेषतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्‌गृहित करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;

(दो) स्थानीय शासन के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार ऋण लेने की संभावना, एवं इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था;

(तीन) स्थानीय शासन की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;

(चार) स्थानीय शासन के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;

(पांच) राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने; और

(छः) स्थानीय शासनों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता हासिल करने।

(ग) स्थानीय शासन के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटने की आवश्यकता;

(घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की संभावनाएं।

2. आयोग, उसकी अनुशंसाएं करने में, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः–

(एक) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन पर होने वाली राजकोषीय मांगें;

(दो) स्थानीय निकायों के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं; और

(तीन) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों को दी जा रही निधियां।

3. आयोग यह बतायेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

4. आयोग उपरोक्त प्रत्येक विषय पर 1 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली आगामी पांच वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई 2023 तक या उसके पूर्व उपलब्ध करायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पूजा शुक्ला)
उपसचिव
वित्त विभाग

क्रमांक 27 **/ 14 / वित्त / विआप्र / चार / 2021** – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना क्रमांक 27, दिनांक 23 मार्च, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पूजा शुक्ला)
उपसचिव
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
————00————

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई, 2023

क्र. 39/आर–14/वित्त/वि.आ.प्र/चार/2021 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के खण्ड (1) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 एवं अधिसूचना क्र. 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 23 मार्च, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, –

सरल क्रमांक 4 में, शब्द तथा अंक "31 जुलाई, 2023" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "31 अक्टूबर, 2023" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पूजा शुक्ला)
उप सचिव
वित्त विभाग

Annexure – 1.5

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

———00———

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी, 2024

क्र. 02/आर–14/वित्त/वि.आ.प्र/चार/2021 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के खण्ड (1) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021, अधिसूचना क्र. 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 23 मार्च, 2022 तथा अधिसूचना क्र. 39/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 28 जुलाई 2023 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, –

सरल क्रमांक 4 में, शब्द तथा अंक "31 अक्टूबर, 2023" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "**31 जनवरी, 2024**" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पूजा शुक्ला)
उप सचिव
वित्त विभाग

पृ.क्र. 03/14/वित्त/विआप्र/चार/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर;
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर;
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर ;
4. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
5. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर;
6. श्री सरजियस मिंज (गृह जिला–जशपुर), मकान नं. 09, मौलश्री विहार, वी.आई.पी. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़;
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर;
8. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर;
9. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर;
10. सचिव वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
11. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर ;
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली;
13. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर ;
14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा वित्त विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
15. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर ;
16. मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़;
18. समस्त कोषालय अधिकारी, इंद्रावती/जिला कोषालय, छत्तीसगढ़;
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़;
20. संचालक शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर ;
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़;
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
23. संचालक वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट http://finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु;

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(पूजा शुक्ला)
उप सचिव
वित्त विभाग

Annexure – 1.6

Details of Meetings Held with Local Bodies

No.	Place	Date
01	Bastar Division	12-13 April 2022
02	Bilaspur Division	28-29 April 2022
03	Sarguja Division	19-20 May 2022
04	Durg Division	16-17 June 2022
05	Raipur Division	07-08 July 2022
06	Rajnandgaon	14 October 2022
07	Jashpur	31 October 2022
08	Sarangadh - Raigadh	19-20 January 2022
09	Narayanpur	09 February 2022
10	Kanker	10 February 2022
11	Janpad Panchayat, Duldula Kunkuri	15 May 2022
12	Bacheli, Dantewada	22-23 August 2022

Annexure – 1.7

State Government Officials with whom the Commission discussed.

1- **Panchayat and Rural Development Deptartment** –

- Additional Chife Secretary, Panchayat and Rural Development Dept.
- Director, Directorate, Panchayat
- Director, Thakur Pyarelal State Institute at panchayat and Rural Development Deptartment
- Deputy Director, Panchayat Directorate

2- **Urban Administration and Development Department**

- Principal Secretary, Urbal Administration and Department
- Director, Urbal Administration and Department

3- **Finance Department** -

- Secretary, Finance Department
- Commissioner, Local Fund Audit

4- **Health Department, Women and Child Development Department**

- Additional Chife Secretary, Health and Family Welfare Department
- Deputy Director, Women and Child Development

5- **Public Health and Engineering Department**

- Chife Engineer, Public Health Engineering Department

6- **Excise Department**

- Director, Excise Department

7- **Stamps and registration Department**

- Director General, Stamps
- Joint Director, Finance, Stamps and Registration.

Annexure – 1.8

Participation in various Seminars by State Finance Commission

1. Participated in the Consultation workshop on the Subject of Need and Significance of Including Child indicators in the Devolution formulae by the State Finance Commissions, Undar the aegis of indian institute of Public Finance and Policy (NIPFP), New Delhi and UNICEF, Dated 22-04-2022.
2. Participated in the National seminar organized on the topic National Conclave on State Finance Commissions under the qegis of National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad, Dated 29-30 November 2022.
3. A one-day workshop was participated on 08-08-2023 on the topic "Mainstreaming Children Priorities in Planning - Integrating Child Related Indicators into State Finance Commissions' Recommendations" aegis of indian Institute od Public Finance and Policy (NIPFP) and UNICEF
4. Participated in discussion with Center for Urban Studies, Indian Institute of Public Administration (IIPA) Delhi on 25-09-2023.

Calculating State Tax Collection Cost

(Rs. In Thousand)

S. No.	Year	Revenue Department 0029 Land Revenue		Transport 0041 Tax on Venicles		Energy 0043 Taxes and fee on Electricity		Commercial Tax 006 – State 0023 – Hotel Receipt 0028 – On Income and Expenditure 0030 – Stampand Registration 0040 – Sales, Trade etc. Tax 0042 – Tax on Goods and Pasanger 0045 – Other Taxes on Good & Services		Sum		Percentage of aollection cost to total receipts
		Tax Receipt	Collection On Cost	Tax Receipt	Collection On Cost	Tax Receipt	Collection On Cost	Tax Receipt	Collection On Cost	Total Tax Receipt	Total Collection On Cost	
1	2017–18	4464118	2434730	11800136	148316	16889545	79543	165793019	1818351	198946818	4480940	2.25
2	2018–19	4875714	2639385	12048504	184553	17902737	86959	179445584	1623344	214272539	4534241	2.12
3	2019–20	5515021	3016892	12748516	201559	18370037	90293	184544901	1750690	221178475	5059434	2.29
4	2020–21	9377141	2968425	11480655	173456	23414111	85087	184620060	1618707	228891967	4845675	2.12
5	2021–22	9000000	3946940	16000000	374802	27000000	114875	223000000	2370963	275000000	6807580	2.48
Average												2.25

Source – Buudget Papers of Chhattisgarh Government.

Annexure 3.2

Details of amounts actually transferred directly to local bodied from the state's own tax revenue, in the form of assigned receipts

(Rs. In Thousand)

S. No.	Year	Rural Local Body	Urban Local Body			Total	Grand Total
		Transfer against recovery of stamp duty	Fees, Transfers and other receipts	Grant from entry tax	Grant from F.L. License Fees		
1	2017—18	0	690000	12042000	355000	13087000	13087000
2	2018—19	247209	490151	7915240	127557	8532948	8780157
3	2019—20	554430	713450	10000000	171000	10884450	11438880
4	2020—21	605658	763391	10000000	171000	10934391	11540049
5	2021—22	700000	1024537	9680000	188100	10892637	11592637
Total		**2107297**	**3681529**	**49637240**	**1012657**	**54331426**	**56438723**

Source – Budget Papers of Chhattisgarh Government

Annexure 3.3

Assessment of the amount to be transferred to local bodies on the recommendation of the State Finance Commission

(Rs. In Thousand)

S. No.	Year	State's own Tax Revenue	Collection Cost	Direct transfer to local bodies in the from of assigned receipts from state's own tax revenue	State's own net tax revenue	Amount Eligible for transfer to local bodies on the recommendation of the SFC	Percentage	Actual	
1	**2017-18**	198946818	4480940.00	13087000	181378878.00	14510310.24	8	1387.27	7.65
2	**2018-19**	214272539	4534241.00	8780157	200958141.00	16076651.28	8	1138.83	5.67
3	**2019-20**	221178475	5059434.00	11438880	204680161.00	16374412.88	8	1069.20	5.22
4	**2020-21**	228891967	4845675.00	11540049	212506243.00	19125561.87	9	1059.54	4.99
5	**2021-22**	270837300	6807580.00	11592637	252437083.00	22719337.00	9	1331.71	5.19
Total		**1134127099**	**25727870.00**	**56438723.00**	**1051960506.00**	**88806273.27**		**5986.55**	

*2017-2018 to 2019—2020, at the rate of 8% as per the recommendation of the 2nd SFC.

*2020—2021 to 2021—2022, at the rate of 8% as per the recommendation of the 3rd SFC.

Source – Budget Papers of Chhattisgarh Government

1.	4.35	आयोग की अनुशंसा है कि पेसा क्षेत्र में स्थापित समितियों के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के मध्य प्रभावी समन्वय के लिये राज्य शासन द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश/आदेश जारी किये जाने चाहिये।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पेसा अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन हेतु बनाये जा रहे छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2021 में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 46 के अंतर्गत गठित स्थायी समितियों को ग्राम सभा के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर किसी अन्य समितियों के गठन नहीं कर सकने का प्रावधान रखा गया है।
2.	4.40	छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंर्तविभागीय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 को रखी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि पंचायतों को दिये जाने वाले अनुसूचित 29 विषयों को अधिकांश शासकीय विभागों द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है। कुछ विभागों द्वारा पहल की गई है, परन्तु उनके द्वारा कोष और पदाधिकारियों का हस्तांतरण अब तक नहीं किया गया है। अतः आयोग का यह मत है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अधिसूचित कार्यकलाप चित्रण का पूरी शिद्दत के साथ पालन किया जाय। आयोग की अनुशंसा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाय, जो पंचायती राज संस्थाओं को निधियों कार्यो एवं कर्मियों के प्रत्यायोजन/अंतरण की पूरी प्रक्रिया को इस तरह देखे कि जिससे स्थानीय	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	अधिकारों का विकेन्द्रीकरण के संबंध में 29 विभागों को पत्र का लेख किया गया है। वर्तमान समय में विभागों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के लिये 29 विषयों को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है।

		शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिये उपचारात्मक और सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दे सके।			
3.	4.41	आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ शासन कार्यकलाप चित्रण की प्रक्रिया को समयबद्ध रीति से पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों के 29 विषयों से संबंधित प्राथमिकता के गतिविधियों का चयन कर लक्ष्य पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है।
4.	5.16	आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारियों के पद रिक्त होने से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनकी सेवाओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता है। आयोग की अनुशंसा है कि रिक्त पदों की पूर्ति की जाय एवं उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं आधारभूत सहायता उपलब्ध कराई जाय।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	वर्तमान में आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारी के 1667 स्वीकृत पद के विरूद्ध 830 पद ही भरे हुए है। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग से पृथक होकर पंचायत संचालनालय के गठन पश्चात् छत्तीसगढ़ पंचायत तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम नहीं बन पाने के कारण उक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। भर्ती नियम के प्रस्ताव वर्ष 2020 से सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग में लंबित है।
5.	5.27	आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अतिरिक्त कर्मी। की नियुक्ति की जानी चाहिये, जिसे लेखों एवं कम्प्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान हो।	वित्तीय भार के दृष्टिगत चरणबद्ध प्रक्रिया में पंचायतों के राजस्व अर्जन के आधार पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पूर्व में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजनांतर्गत प्रदेश के 7043 ग्राम पंचायतों में 5000/– रूपये प्रतिमाह के मानदेय में पंचायत सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की भर्ती की गई थी। उक्त योजना समाप्त होने के पश्चात् बजट के अभाव में उक्त पदों को निरंतर नहीं किया जा सका। वर्तमान में आरजीएसए योजनांतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाने हेतु प्रतिमाह 50,000/–

					रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।
6.	5.28	आयोग की अनुशंसा है कि कुछ पंचायतों में पायलेट परियोजना के रूप में ग्राम सभा की कार्यवाही की ''वायस रिकार्डिंग'' की जा सकती है। इससे ग्राम सभा के क्रियाकलापों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	ग्राम सभा आयोजन हेतु राज्य/जिला स्तर से जारी किये जाने वाले निर्देशों के तहत् ग्राम सभा की कार्यवाही का वायस रिकार्डिंग हेतु निर्देश जारी किया जा सकता है।
7.	5.33	आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कोषों का आबंटन पारदर्शी तथा मानक आधार पर किया जाना चाहिए।	निर्धारित कोषों का पारदर्शी तथा मानक आधार पर आबंटन हेतु सहमति दी गई है।	• वित्त विभाग • पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 में पंचायती राज संस्थाओं लिए 6.91 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किये जाने का अनुशंसा है जो वर्तमान मे अनुदान राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसे आयोग के अनुशंसा के आधार पर प्रदाय किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पारदर्शीता हेतु केन्द्र शासन के योजनाओं के भांति राज्य वित्त आयोग के अनुशसा से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशि को पीएफएमएस के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
8.	6.9	तृतीय राज्य वित्त आयोग पुनः अनुशंसा करता है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल–जल योजना हेतु दिये जाने वाले अनुदान को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जाय एवं वर्ष में दो बार अनुदान उपलब्ध कराया जाय। राज्य शासन अनुशंसा के अनुपालन को भी सुनिश्चित कराएँ।	वर्ष में दो बार अनुदान देने का पालन किया जा रहा है। दो–दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षण की अनुशंसा को मान्य किया गया है।	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	
9.	6.30	आयोग की अनुशंसा है कि सभी 146 जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास एवं स्थानीय आवश्यकताओं के लिये अधिनिर्णय अवधि में	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	• वित्त विभाग	आयोग की अनुशंसा के आधार पर जनपद पंचायत विकास निधि योजना वर्ष 2017–18 से प्रारंभ की

		रूपये 20.00 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाय। 75 प्रतिशत सहायता अनुदान अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिये एवं 25 प्रतिशत सहायता अनुदान स्थानीय आवश्यकताओं के लिये अनाबद्ध रखा जाय। राज्य सरकार अनाबद्ध सहायता अनुदान के लिये उचित दिशा–निर्देश जारी करें।		• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	गई, जिसमें प्रति जनपद पंचायत 50.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रति जनपद पंचायत 20.00 लाख रूपये की राशि प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022–23 से इस योजना के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए जनपद अध्यक्ष के लिए 5.00 लाख, उपाध्यक्ष के लिए 3.00 लाख जनपद सदस्य के लिए 2.00 लाख रूपये निधि का प्रावधान रखते हुए उक्त मद में 65.42 करोड़ का बजट आबंटन दिया गया है।
10.	7.4	आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक गॉव में कम से कम एक तालाब निस्तारी प्रयोजन के लिये आरक्षित रखा जाना चाहिए और मत्स्य पालन के उद्देश्य के लिये पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	वर्तमान में प्रत्येक गॉव में एक तालाब निस्तारी के प्रयोजन के लिए आरक्षित रखने के पश्चात् ही शेष तालाब को लीज अथवा पट्टे पर दिया जाता है।
11.	7.18	आयोग की अनुशंसा है कि कर वसूली की वर्तमान प्रक्रिया में स्व–सहायता समूह एवं अन्य समूह को जोड़े जाने की परम्परा को और विकसित किया जाना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा–77 के अनुसार ग्राम पंचायतों में अनिवार्य, वैकल्पिक एवं अन्य फीस आरोपित किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त करों की वसूली ग्राम – पंचायतों के माध्यम से की जा रही है। उक्त करों की वसूली की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्व–सहायता समूहों को जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है।
12.	7.28	आयोग अनुशंसा करता है कि शासन योजनाओं की संख्या न्यूनतम करे जिससे कोषों का अपव्यय नियंत्रित किया जा सके और लक्ष्य एवं संभावित परिणामों में स्पष्टता आ सके।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	• वित्त विभाग • पंचायत एवं ग्रामीण	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण, पंचायत पुरस्कार योजनाओं को बंद करने हेतु बजट में प्रावधान किया

				विकास विभाग	गया है। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को पुरस्कार एवं प्रशिक्षण हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना रास्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अन्तर्गत किया जा रहा है।
				• नगरीय प्र ाासन विभाग	राज्य शासन द्वारा वर्तमान में 25 राज्य प्रवर्तित योजना से संचालित की जा रही है। समीक्षा उपरांत उद्देश्य पूर्ण होने पर इन योजनाओं को समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।
13.	10.17	आयोग की अनुशंसा है कि राज्य को पंचायतों के लिये ई–गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में योजना तैयार करनी चाहिए एवं ई–लोकल गवर्नेंस प्रणाली की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिये एक समग्र योजना बनानी चाहिए।	समग्र योजना बनाने की अनुशंसा को मान्य किया गया है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी करने हेतु भारत सरकार द्वारा तैयार ई–ग्राम स्वराज पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है. जिसमें ग्राम पंचायतों की मूलभूत जानकारी, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, ऑडिट आदि समस्त कार्य किये जा रहे है।
14.	11.8	आयोग की यह अनुशंसा है कि नगर पंचायतों का गठन 10,001 से 30,000 तक जनसंख्या वाले नगरों, नगर पालिक परिषद का गठन 30,001 से 2,00,000 जनसंख्या तक एवं नगर पालिक निगम का गठन 2,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में किया जाये।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28/02/2003 के अनुरूप नगरीय निकायों का गठन 2001 की जनसंख्या पर आधारित था। वर्तमान में जनगणना वर्ष 2021 के आंकड़े प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा, उच्च स्तर पर पूर्व में जारी अधिसूचना के सशोधन हेतु प्रस्तावित किया जायेगा।
15.	11.8	आयोग की यह भी अनुशंसा है कि पंचायत शब्द के उपयोग से होने वाले भ्रम को दूर करने के	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	सहमत है विचारण में लिया जा सकता है, पूर्व में प्रशासकीय

		लिए 'नगर पंचायत' का नाम 'नगर परिषद' किया जाए			अनुमोदन पश्चात छ.ग. न.पा. अधिनियम 1961 में सशोधन हेतु विधि विभाग से परिमार्जन पष्चात् वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, इसके पश्चात् आगामी कार्यवाही नहीं की गयी।
16.	11.19	नगरीय स्थानीय निकायों के प्रशासन में अपर्याप्त एवं अप्रशिक्षित कर्मियों के कारण गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आयोग की अनुशंसा है कि राज्य शासन इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त एवं कुशल कर्मियों की व्यवस्था करे।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	विभाग के अधिकारियों को छ.ग. प्रशासन अकादमी ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा क्षेत्रीय पर्यावरण एवं अध्ययन केन्द्र लखनऊ आ.ई. एल.एस.जी.डी. एवं आस्की हैदराबाद सहित देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाता है साथ ही एरपोजर टूर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों को भेजा जाता है। व्यापम और लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जाती है।
17.	11.20	आयोग की यह अनुशंसा है कि वर्तमान संवर्ग को व्यवस्थित किया जाए। जहां आवश्यकता हो वहां नये संवर्ग का गठन किया जाए यथा–लेखा, राजस्व, पर्यावरण, इंजीनियरिंग एवं नगरीय नियोजन जिससे नगरीय प्रशासन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जा सके।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	विभाग में राज्य नगर पालिका सेवा (कार्यपालन), राज्य नगर पालिका सेवा (यांत्रिकी) और राज्य नगर पालिका सेवा (स्वास्थ्य) का गठन है। नगर निवेशक का पद नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। सहायक नगर निवेशक का पद सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति से भरा जाता है। लेखा, राजस्व, पर्यावरण संवर्ग के गठन हेतु विचार किया जायेगा ।
18.	11.21	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 11 मई 2011 छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व (विनिमायक आयोग की स्थापना)	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	सम्पत्तिकर निर्धारण हेतु कलेक्टर गाइड लाईन के अनुसार करने के लिए नवीन नियम 2021 में

		अधिनियम 2011 जारी किया गया है, परन्तु अब तक यह कार्यशील नहीं हो सका है। आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनिमायक आयोग को कार्यशील किया जावे।			प्रभावशील किया गया है पहले भवन/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर किया जाता था।
19.	12.17	आयोग का यह अवलोकन है कि तेजी से विकसित हो रहे छत्तीसगढ़ के नगर जैसे – रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर में बहुमंजलीय इमारतों की भारी कमी है। ऊंची लागत की भूमि का उचित आर्थिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्नत अधोसंरचना, सेवा प्रदाय करना, सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण तंत्र की कार्यक्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक होगा। आयोग की यह अनुशंसा है कि सभी बड़े शहरों में कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) सभी प्रयोजनों हेतु बढ़ाया जाना चाहिए।	आवास एवं पर्यावरण विभाग के अभिमत से सहमत। अनुशंसा मान्य किया गया है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	नगरीय निकायों में बहुमंजिला इमारतों एवं कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) के लिए नगर तथा ग्राम निवेश के मापदण्डों (भूमि विकास नियम) के अनुसार अनुज्ञा दी जाती है।
20.	13.6	शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक पूजा स्थल या सार्वजनिक परोपकारी, विधवा या अवयस्क या निःशक्तजन, मानसिक रूप से अक्षम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेना के सदस्य एवं उनकी विधवाएं, दृष्टिहीन, परित्यक्त महिलाएं एवं मानसिक रूप से असंतुलित, छत्तीसगढ, विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये खम्भे और ऐसे अन्य मामले जिनमें राज्य शासन ने छूट देने का निर्णय लिया हो, को कर से छूट प्राप्त है। कुछ प्रकरणों में यह छूट शर्तों के साथ है। आयोग अनुशंसा करता है कि शासन को नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम में प्रावधानित छूटों पर पुर्नविचार करना चाहिए और 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार उन्हें हटाने या तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।	विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	अधिनियम में प्रावधानित छूट तर्कसंगत है।

21.	13.10	आयोग अनुशंसा करता है कि सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई. ऐप स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रारंभ में यह प्रणाली नगर पालिक निगमों में लागू की जा सकती है कालांतर में इसे अन्य नगरीय स्थानीय निकायों में भी लागू किया जा सकता है।	विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा क्रमशः प्रभावशील करने की सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	65 निकायों में ऑनलाईन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। पेमेंन्ट गेटवे द्वारा भुगतान लिया जाता है, शेष निकायों में भी की जाने की प्रकिया प्रगति पर है।
22.	13.10	आयोग अनुशंसा करता है कि समय पर और अग्रिम सम्पत्ति कर का भुगतान करने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना चाहिए और इसका विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। इससे प्रभावी एवं अधिक कर राजस्व की वसूली संभव हो सकेगी।	विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर विचार करने की सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	नगर पालिक निगमों में यह व्यवस्था लागू है, छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 में निगमों को संपत्तिकर में छूट बाबत अधिकार दिये गये हैं।
23.	13.16	आयोग यह अनुशंसा करता है कि अधिकतम दोहन की संभावना वाले बड़े नगरीय स्थानीय निकायों में विज्ञापन/हौंडिंग कर का उपयोग राजस्व बढ़ाने में किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए विज्ञापन कर लगाने हेतु दिशा–निर्देश तैयार किया जाए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	प्रदेश में होर्डिंग पॉलिसी लागू है, उपविधि को अंगीकृत कर सकते हैं। विज्ञापन कर का पृथक से प्रावधान नहीं है। होर्डिंग पॉलिसी में विज्ञापन फीस सम्मिलित है।
24.	13.29	आयोग यह अनुशंसा करता है कि स्थानीय नगरीय निकायों को अपनी क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उन्हें अपनी ऋण पात्रता की सीमा मालूम हो तथा वे वित्तीय बाजार से ऋण लेने के लिए योग्य बन सके।	विभागीय अभिमत के आधार पर आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	9 अमृत शहरों के लिये वर्ष 2016–17 में इकरा (Intional Information and Credit Rating Agency) से क्रेडिट रेटिंग कराई गई थी।
25.	13.31	आयोग अनुशंसा करता है कि पर्याप्त संख्या में लेखापालों की पदस्थापना सभी नगरीय स्थानीय निकायों में की जाए और एक निश्चित समय–सीमा में अधिकारियों की आंतरिक क्षमता का विकास किया जाए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	व्यापम के माध्यम से 84 लेखापाल की भर्ती की गई है तथा पुनः रिक्त 50 लेखापाल भर्ती के लिए सहमति ली गई है।
26.	13.32	आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों को परिसंपत्तियों का स्कंध लेने के लिए एकबार ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिसमें सभी	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	सहमत निरंतर अद्यतन कराया जा रहा है।

		नगरीय स्थानीय निकायों के लिए एक मानक प्रारूप बनाया जा सके। इस प्रारूप में संपत्तियों की भौतिक स्थिति, संख्यांक और उनका पूरा विवरण सम्मिलित होगा। इसके संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे ऐसे स्कंधों का अभिलेखीकरण एवं व्यवस्थापन का कार्य प्रत्येक नगरीय निकाय में निश्चित समयावधि में अद्यतन किया जा सके। ऐसे अभिलेख को बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की जिम्मेदारी निर्दिष्ट अधिकारी को दी जानी चाहिए।			
27.	13.36	आयोग यह अनुशंसा करता है कि भूमि से हो सकने वाली आय यथा–परिवर्तन (व्यपवर्तन) शुल्क, सुधार शुल्क, विकास शुल्क आदि के स्त्रोत का विवरण दर्शाते हुए उपलब्ध भूमि की सूची बनाई जाए। कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) पर एक निर्धारित सीमा के ऊपर शुल्क आदि का निर्धारण संपूर्ण योजना के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत रहते हुये इसे एक पारदर्शी एवं उत्तरदायी तंत्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे भूमि मूल्यांकन आधारित स्त्रोत का शहरी अधोसंरचना की परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग किया जा सके।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	भूमि से हो सकने वाली आय यथा परिवर्तन शुल्क, सुधार शुल्क, विकास शुल्क आदि से संबंधित विषय नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित है । विभाग समन्वय के अनुशंसा पर कार्यवाही हेतु सहमत है।
28.	13.40	आयोग यह अनुशंसा करता है कि वार्ड एवं मोहल्ला समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी समितियाँ जिन्होनें सम्पत्ति कर की चालू मांग के 90 प्रतिशत तक वसूली में योगदान दिया हो के लिए उस राशि का 20 से 25 प्रतिशत तक सुरक्षित रखा जाये। यह राशि इन मोहल्ला समितियों द्वारा सुझाये गये अधोसंरचना या अन्य सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी। नागरिक समुदायों में इससे सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा न सिर्फ आय के साधनों को गतिशील	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	

		बनाने में वरन् विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। आयोग का यह मत है कि इससे सक्रिय भागीदारी की संस्कृति पैदा होगी जो दीर्घकाल में सतत् विकास में सहायक होगी।			
29.	15.7	आयोग की अनुशंसा है कि संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास द्वारा सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का अभिलेखीकरण एवं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उनका अंगीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	
30.	16.4	आयोग की अनुशंसा है कि चरणबद्ध तरीके से स्थानीय निकायों के सभी कार्यक्षेत्रों में ई–गवर्नेंस का उपयोग अविलंब प्रारंभ किया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को ई–गवर्नेंस में प्रशिक्षित किया जाए। जिससे प्रभावी डाटा प्रबंधन, योजना और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी तथा नागरिकों के साथ बेहतर अंर्तसंबंध स्थापित होंगे, जो प्रभावी समुदायिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।	चरणबद्ध तरीके से ई–गवर्नेंस की प्रणाली कर उपयोग प्रारंभ करने की सहमति दी गई है।	नगरीय प्र ाासन विभाग	
31.	16.7	आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायती राज संस्थाओं में संचालित सभी केन्द्रीय एवं राज्य शासन की योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पंचायत की वेबसाईट के माध्यम से जनसुलभ होना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा से सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	
32.	16.8	आयोग की अनुशंसा है कि सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एकीकृत जिला विकास योजना बनाई जानी चाहिए और इसे राज्य की विकास योजना के साथ समन्वित किया जाना चाहिए	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	
	16.9	यह आयोग पूर्व के आयोगों की अनुशंसा को दोहराता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्ड समितियों का गठन कर इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए।		नगरीय प्र ाासन विभाग	छ.ग. न.पा.नि. अधिनियम की धारा 67 तथा न.पा. अधिनियम की धारा 124 'ख' में जिला विकास योजना तथा वार्षिक योजना बनाने हेतु प्रावधान है, सामाजिक आर्थिक

					विकास के लिय पत्र दिनांक 28/12/2021 एकीकृत जिला विकास योजना तथा पत्र दिनांक 08/11/2021 के द्वारा वार्षिक – योजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं ।
33.	16.10	आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय स्थानीय निकायों को अधोसंरचना विकसित करने और आय अर्जित करने वाली योजनाओं के लिए भविष्य में उपलब्ध कराई जा सकने वाली रिक्त भूमि को चिन्हांकित, सूचीबद्ध एवं दस्तावेजीकरण कर जिला प्रशासन द्वारा एक भूमि बैंक बनाया जाना चाहिए जिससे भूमि की मांग आने पर स्थानीय निकायों को भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जा सके।	आयोग की अनुशंसा पर सहमति दी गई है।	राजस्व विभाग	
34.	16.11	आयोग अनुशंसा करता है कि सामान्यतः अंतरिम अनुमानों से बचने के लिये उचित समय पर, अगले वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के प्रारंभ होने से कम से कम दो वर्ष पूर्व राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिये।	तृतीय राज्य वित्त आयोग की इन अनुशंसाओं को आयोग के निदेश पद (टीओआर) में निर्धारित अवधि 2017–18 से 2021–22 के स्थान पर अवधि 2020–21 से आगामी पांच वर्षो के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि (क) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है कि एसएफसी रिर्पोटों का सामंजस्य (synchronous) राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ हो। (ख) साथ ही तृतीय राज्य वित्त आयोग का अधिनिर्णय अवधि (2017–18 से 2021–22) में से वर्ष 2017–18 बीत चुका है, और वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 का बजट पारित होकर लगभग आधे वित्त वर्ष तक कार्यन्वित हो चुका है। अतः उपरोक्त के प्रकाश में तृतीय राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग की कालावधि की समवर्ती अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 पांच वर्ष की कालावधि के लिये मान्य करने की आवश्यकता होगी। **साथ ही** यह कालावधि मान्य होने की स्थिति में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की **अधिनिर्णय अवधि 2012–17 के लिये** राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 में पंचायती राज संस्थाओं लिए 6. 91 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किये जाने का अनुशंसा है जो वर्तमान में अनुदान राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसे आयोग के अनुशंसा के आधार पर प्रदाय किया जाना चाहिए।
35.	16.12	आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य वित्त आयोग के गठन के साथ ही वित्त विभाग के वित्त आयोग प्रकोष्ठ में कार्यरत वर्ग 2, 3 और 4 कर्मचारियों को राज्य वित्त आयोग कार्यालय में संलग्न किया जाना चाहिये।		वित्त विभाग	

			और 2019–20 के लिये विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है।		
36.	17.18	तृतीय राज्य वित्त आयोग यह अनुशंसा करता है, कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 9 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को दिए जाए।	तृतीय राज्य वित्त आयोग की इन अनुशंसाओं को आयोग के निदेश पद (टीओआर) में निर्धारित अवधि 2017–18 से 2021–22 के स्थान पर अवधि 2020–21 से आगामी पांच वर्षो के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि (क) 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है कि एसएफसी रिर्पोटों का सामंजस्य (synchronous) राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ हो। (ख) साथ ही तृतीय राज्य वित्त आयोग का अधिनिर्णय अवधि (2017–18 से 2021–22) में से वर्ष 2017–18 बीत चुका है, और वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 का बजट पारित होकर लगभग आधे वित्त वर्ष तक कार्यन्वित हो चुका है। अतः उपरोक्त के प्रकाश में तृतीय राज्य वित्त आयोग की राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग की कालावधि की समवर्ती अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 पांच वर्ष की कालावधि के लिये मान्य करने की आवश्यकता होगी। **साथ ही** यह कालावधि मान्य होने की स्थिति में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की **अधिनिर्णय अवधि 2012–17 के लिये** राज्य शासन द्वारा मान्य अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिये विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है।	नगरीय प्र ाासन एंव विकास विभाग	नगरीय निकायों को वर्तमान में राज्य के शुध्द कर से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार 1.85 प्रतिशत उपलब्ध कराया जा रहा है। तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को आबंटन प्रदाय किया जाए।
37.	17.19	आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए क्रमशः 6.91 प्रतिशत एवं 2.09 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किया जाए।		नगरीय प्र ाासन एंव विकास विभाग	तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को यदि 9 प्रतिशत शुध्द कर का भुगतान किया जाता है तो नगरीय निकायों को प्राप्त होने वाले 2.09 प्रतिशत का आबंटन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जाना उचित होगा।

Annexure 6.1

Number of Panchayati Raj Institution in the State				
S. No.	Name of District	Number of Panchayati Raj Institution		
		Zila Panchayt	Janpad Panchayat	Gram Panchayat
1	Raipur	1	4	416
2	Mahasamund	1	5	551
3	Dhamtari	1	4	370
4	Durg	1	3	304
5	Rajnandgaon	1	9	814
6	Kabirdham	1	4	468
7	Bastar	1	7	433
8	Narayanpur	1	2	104
9	Dantewada	1	4	143
10	Bijapur	1	4	170
11	Kanker	1	7	454
12	Bilaspur	1	4	483
13	Gaurela-Pendra-Marwahi	1	3	166
14	Korba	1	5	412
15	Janjgir-Champa	1	9	657
16	Raigarh	1	9	774
17	Sarguja	1	7	439
18	Jashpur	1	8	444
19	Korea	1	5	363
20	Baloda Bazar	1	6	644
21	Gariyaband	1	5	336
22	Bemetara	1	4	429
23	Balod	1	5	435
24	Mungeli	1	3	370
25	Kondagaon	1	5	383
26	Sukma	1	3	153
27	Surajpur	1	6	481
28	Balrampur	1	6	468
Total		**28**	**146**	**11664**

Source – Panchayati Raj and Rural Development Department of Chhattisgarh

Annexure 6.2

Average Population of Zila Panchayat, According to Census 2011		
S. No.	**Zila Panchayt**	**Population**
1	Dhamtari	661882
2	Bijapur	213558
3	Balod	722569
4	Bemetara	721192
5	Balrampur - Ramanujganj	695808
6	Baloda Bazar – Bhatapara	1298534
7	Kabirdham	730267
8	Kanker	682135
9	Kondagaon	530512
10	Korea	478150
11	Korba	723121
12	Mahasamund	913614
13	Mungeli	641468
14	Bilaspur	1002797
15	Raipur	860687
16	Raigarh	1219077
17	Rajnandgaon	1264614
18	Sarguja	703424
19	Sukma	242718
20	Surajpur	710753
21	Durg	607015
22	Dantewada	221274
23	Janjgir-Champa	1394646
24	Jashpur	780263
25	Narayanpur	116962
26	Gariyaband	557199
27	Gaurela-Pendra-Marwahi	304135
28	Bastar	611189
Total		**1,96,09,563**

Source – Panchayati Raj and Rural Development Department of Chhattisgarh

Annexure 6.3

छत्तीसगढ़ राज्य की जिलेवार अनुसूचित (पेसा) जनपद/ग्राम पंचायत की जानकारी

क्र.	क्षेत्र	जिले का नाम	कुल जनपद पंचायत	पेसा जनपद पंचायत	पेसा ग्राम पंचायत	जनपद पंचायतवार पेसा ग्राम पंचायतों की संख्या							
1	सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र वाले जिला	नारायणपुर	2	2	104	नारायणपुर – 68	ओरछा – 36						
2		सुकमा	3	3	153	सुकमा – 33	छिन्दगढ़ – 59	कोन्टा – 61					
3		दंतेवाड़ा	4	4	143	दंतेवाड़ा – 38	गीदम – 46	कटेकल्याण – 26	कुआकोण्डा– 33				
4		बीजापुर	4	4	170	बीजापुर – 36	भैरमगढ़ – 60	भोपालपट्टनम – 35	उसूर – 39				
5		कोण्डागांव	5	5	383	कोण्डागांव – 125	बड़ेराजपुर – 49	माकडी – 67	केशकाल – 69	फरसगांव – 73			
6		कोरबा	5	5	412	कोरबा – 74	करतला – 78	कटघोरा – 53	पाली – 93	पोडी उपरोडा – 114			
7		कोरिया	5	5	363	बैकुण्ठपुर – 88	सोनहत – 42	खड़गवां – 77	मनेन्द्रगढ – 72	भरतपुर – 84			
8		सूरजपुर	6	6	481	सूरजपुर – 108	भैयाथान – 78	ओडगी – 74	रामानुजनगर – 74	प्रेमनगर – 46	प्रतापपुर – 101		
9		बलरामपुर	6	6	468	बलरामपुर – 75	रामचन्द्रपुर – 91	वाड्रफनगर – 95	शंकरगढ़ – 60	कुसमी – 77	राजपुर – 70		
10		बस्तर	7	7	433	बस्तर – 88	बास्तानार – 34	लोहण्डीगुडा – 49	बकावण्ड – 93	जगदलपुर – 71	तोकापाल – 52	दरभा – 46	
11		कांकेर	7	7	454	कांकेर – 64	कोयलीबेडा – 103	अन्तागढ़ – 56	चारामा – 64	भानुप्रतापपुर – 52	नरहरपुर – 71	दुर्गकोन्दल – 44	
12		सरगुजा	7	7	439	अम्बिकापुर – 101	लखनपुर – 74	उदयपुर – 59	लुण्ड्रा – 77	बतौली – 42	मैनपाट – 44	सीतापुर – 42	
13		जशपुर	8	8	444	जशपुर – 44	कांसाबेल – 40	बगीचा – 93	फरसाबहार – 58	कुनकुरी – 51	दुलदुला– 30	पत्थलगांव – 84	मनोरा – 44
14		गौ.पे.मा.	3	3	166	मरवाही – 74	पेण्ड्रा – 41	गौरेला – 51					
15	आंशिक अनुसूचित क्षेत्र वाले जिला	बालोद	5	1	60	डौण्डी – 60							
16		धमतरी	4	1	102	नगरी – 102							
17		बिलासपुर	4	0	85	कोटा – 85							
18		गरियाबंद	5	3	210	गरियाबंद – 62	मैनपुर – 74	छुरा – 74					
19		राजनांदगांव	9	3	185	मोहला – 57	मानपुर – 59	चौकी – 69					
20		रायगढ़	9	5	377	खरसिया – 81	घरघोडा – 42	घरघोडा – 42	तमनार – 61	लैलूंगा – 75	धरमजयगढ़ – 118		
योग			108	85	5632								

स्रोत :– पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ भाासन से प्राप्त जानकारी

Annexure 6.4

Number of Urban Local Bodies at the District level

(As on 01.07.2022)

S. No.	Name of District	Number of Urban Local Bodies			
		Nagar Nigam	Nagar Palika	Nagar Panchayat	Total
1	Raipur	2	3	7	12
2	Baloda Bazar	0	2	5	7
3	Gariyaband	0	1	3	4
4	Dhamtari	1	0	5	6
5	Mahasamund	0	3	3	6
6	Durg	4	4	3	11
7	Balod	0	2	6	8
8	Rajnandgaon	1	1	2	4
9	Bastar	1	0	1	2
10	Bilaspur	1	2	4	7
11	Korba	1	2	2	5
12	Raigarh	1	1	5	7
13	Sarguja	1	0	2	3
14	Mahendragarh-Chirmiri-Bharatpur	1	1	3	5
15	Bemetara	0	1	7	8
16	Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai	0	1	2	3
17	Kabirdham	0	1	5	6
18	Kondagaon	0	1	2	3
19	Narayanpur	0	1	0	1
20	Kanker	0	1	5	6
21	Dentewada	0	3	2	5
22	Sukma	0	1	2	3
23	Bijapur	0	1	2	3
24	Mungeli	0	1	3	4
25	Janjgir	0	3	6	9
26	Sakti	0	1	5	6
27	Sarangarh – Bilaigarh	0	1	4	5
28	Jashpur	0	1	4	5
29	Balrampur	0	1	4	5
30	Surajpur	0	1	5	6
31	Korea	0	2	0	2
32	Mohla-Manpur-Chowki	0	0	1	1
33	Gaurela-Pendra-Marwahi	0	0	2	2
	Total	**14**	**44**	**112**	**170**

Source – Urban administration and Development Department of Chhattisgarh

Annexure 6.5

Population of Nagar Nigam According to Census 2011

S. No.	Name of District	Nagar Nigam	Population
1	Raipur	Raipur	1048120
2		Birgaon	96294
3	Dhamtari	Dahmtari	89860
4	Durg	Drug	267465
5		Bhilai	516862
6		Risali	108838
7		Bhilai Charoda	98008
8	Rajnandgaon	Rajnandgaon	163114
9	Bastar	Jagdalpur	125463
10	Bilaspur	Bilaspur	514144
11	Korba	Korba	363390
12	Raigarh	Raigarh	166034
13	Sarguja	Ambikapur	125392
14	Mahendragarh-Chirmiri-Bharatpur	Chirmiri	85317
	योग		**37,68,301**

Source – Urban administration and Development Department of Chhattisgarh

Annexure 6.6

Population of Nagar Palika Parishad According to Census 2011

S.no.	Name of District	Nagar palika Parishad	Population
1	Raipur	Tilda Newra	32331
2		Gobranawapara	29315
3		Arang	19091
4	Gariyabandh	Gariyaband	10426
5	BalodaBazar	Baloda Bazar	26632
6		Bhatapara	57512
7	Mahasamund	Mahasamund	54413
8		Bagbahra	19529
9		Saraipali	20043
10	Drug	Jamul	25878
11		Kumhari	35054
12		Ahiwara	20384
13		Amleshwar	10489
14	Balod	Balod	23648
15		Dalli Rajhara	44363
16	Bemetara	Bemetara	28536
17	Rajnandgaon	Dongargarh	37372
18	Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai	Kabirdham	22564
19	Kabirdham	Kabirdham	44205
20	Kondagaon	Kondagaon	30921
21	Narayanpur	Narayanpur	22106
22	Kanker	Kanker	27541
23	Dantewada	Kirandul	18887
24		Bade Bacheli	21435
25		Dantewada	13633
26	Sukma	Sukma	13926
27	Bijapur	Bijapur	16129
28	Bilaspur	Takhatpur	19968
29		Ratanpur	24636
30	Mungeli	Mungeli	31250
31	Korba	Dipka	27158
32		Katghora	22690
33	Janjgir	Janjgir-Naila	40561
34		Champa	45256
35		Akaltara	22712
36	Sakti	Sakti	21955
37	Raigarh	Kharsia	18939
38	Sarangard - Bilaigarh	Sarangarh	24798
39	Jaspur	Jashpur Nagar	25422
40	Balrampur	Balrampur	4456
41	Surajpur	Surajpur	20189
42	Mahendragarh-Chirmiri-Bharatpur	Manendragarh	33071
43	Korea	Baikunthpur	29182
44		Shivpurcharcha	23514
	Total		**11,62,120**

Source – Urban administration and Development Department of Chhattisgarh

Annexure 6.7

Population of Nagar Panchayat according to census 2011

S.no	Name of Distt.	Name of Nagar Panchayat	Population	S.no.	Name of Distt.	Name of Nagar Panchayat	Population
1	Raipur	Abhanpur	14432	57	Dantewada	Narharpur	4509
2		Kharora	9236	58		Gidam	7440
3		Mana Camp	11953	59		Barsur	6636
4		Kunra	8857	60	Sukma	Dornapal	7238
5		Mandir Hasoud	16086	61		Konta	6882
6		Samoda	6907	62	Bijapur	Bhairamgarh	9026
7		Chandrakuri	3341	63		Bhopalpattanam	4445
8	Gariyabandh	Rajim	14092	64	Bilaspur	Kota	18405
9		Fingeshwar	9752	65		Bodri	17481
10		Chhura	6079	66		Bilha	11048
11	Baloda Bazar	Simga	16027	67		Malhar	8505
12		Lawan	8984	68	Gaurela-Pendra-Marwahi	Gaurela	18165
13		Kasdol	14071	69		Pendra	14120
14		Palari	8567	70	Mungeli	Lormi	15156
15		Tundra	8211	71		Pathriya	6349
16	Dhamtari	Kurud	13783	72		Sargaon	7484
17		Magarlod	6280	73	Korba	Pali	5514
18		Nagri	13308	74		Chhuri kala	8239
19		Bhekhara	7547	75	Janjgir	Balauda	13630
20		Aamadi	6600	76		Kharod	10193
21	Mahasamund	Pithora	8428	77		Shivrinarayan	9714
22		Basna	10345	78		Saragaon	7225
23		Tumgaon	7394	79		Nawagarh	8118
24	Drug	Dhamdha	9961	80		Rahaud	6160
25		Patan	10133	81	Sakti	Naya Baradwar	8840
26		Utai	8752	82		Adbhar	7272
27	Balod	Gunderdehi	8614	83		Jaijepur	7946
28		Dondi	8042	84		Dabhara	7854
29		Dondilohara	6045	85		Chandrapur	7688
30		Gurur	3775	86	Raigarh	Dharamjaygarh	14354
31		Arjunda	4851	87		Gharghoda	9455
32		Chilakasa	6160	88		Lailunga	8208
33	Bemetra	Thankhamriya	8373	89		Pusor	4744
34		Saja	5257	90		Kirodimal Nagar	13102
35		Devkar	6358	91	Sarangarh Bilaigarh	Sariya	6927
36		Berla	5165	92		Baramkela	5600
37		Parpodi	3741	93		Bilaigarh	5544
38		Nawagarh	10541	94		Bhatagaon	10371
39		Maro	6596	95	Jashpur	Pathaigaon	16613
40	Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai	Gandai	13278	96		Kotba	6805
41		Chhuikhadan	7093	97		Bagicha	10427
42	Mohla Manpur Chowki	Ambagarh Chouki	9889	98		Kunkuri	13846
43	Rajnandgaon	Dongargarh	14693	99	Sarguja	Sitapur	9361
44		Chhuria	4509	100		Lakhanpur	6270
45	Kawardha	Pandariya	16165	101	Balrampur	Ramanujganj	11893
46		Balod	5689	102		Kusmi	7447
47		Pandatarai	7008	103		Rajpur	4838
48		Sahaspur lohara	7017	104		Wadrafnagar	6048
49		Pipariya	4859	105	Surajpur	Bishrampur	11367
50	Bastar	Bastar	10174	106		Pratpur	5635
51	Kondagaon	Keshkal	10779	107		Bhatgaon	11204
52		Pharasgaon	6306	108		Jarhi	7228
53	Kanker	Bhanupratpur	8125	109		Prem nagar	4954
54		Charama	9707	110	Mahendragarh-Chirmiri-Bharatpur	Jahgrakhand	7680
55		Pakhanjur	10201	111		Khongapani	17400
56		Antagarh	6777	112		Nai Ledri	5333
Total							**10,08,849**

Source: Urban Administration and Development Deptt. C.G. Gov.

Annexure 7.1

Sample Size approved by fourth SFC

S. No.	District	Gram Panchayats			Non-Scheduled GPs			Scheduled Gps		
		Total	Sample Size	Percentage	Total	Sample Size	Percentage	Total	Sample Size	Percentage
1	Bastar	433	132	30.48	–	–	–	433	132	30.48
2	Bilaspur	483	145	30.02	398	145	36.4	85	–	–
3	Dantewada	143	83	58.04	–	–	–	143	83	58.04
4	Dhamtari	370	234	63.24	268	175	65.30	102	59	57.84
5	Durg	304	160	52.63	304	160	52.63	–	–	–
6	Janjgir Champa	657	378	57.53	657	378	57.53	–	–	–
7	Jashpur	444	204	45.95	–	–	–	444	204	45.95
8	Kanker	454	138	30.40	–	–	–	454	138	30.40
9	Kabirdham	468	332	70.94	468	332	70.94	–	–	–
10	Korba	412	176	42.72	–	–	–	412	176	42.72
11	Korea	363	169	46.56	–	–	–	363	169	46.56
12	Mahasamund	551	312	56.62	551	312	56.62	–	–	–
13	Raigarh	774	511	66.02	397	294	74.06	377	217	57.56
14	Raipur	416	206	49.52	416	206	49.52	–	–	–
15	Rajanandgaon	814	408	50.12	629	302	48.01	185	106	57.30
16	Surguja	439	251	57.15	–	–	–	439	251	57.18
17	Bijapur	170	92	54.12	–	–	–	170	92	57.12
18	Narayanpur	104	86	82.69	–	–	–	104	86	82.69
19	Sukma	153	48	31.37	–	–	–	153	48	31.37
20	Kondagaon	383	163	42.56	–	–	–	383	163	42.56
21	BalodaBazar	644	290	45.03	644	290	45.03	–	–	–
22	Gariyabandh	336	100	29.76	126	38	30.16	210	62	29.52
23	Balod	435	370	85.06	375	319	85.07	60	51	85.00
24	Mungali	370	202	54.59	370	202	54.59	–	–	–
25	Surajpur	481	279	58.00	–	–	–	481	279	58.00
26	Balrampur	468	219	46.79	–	–	–	468	219	46.79
27	Bemetara	429	162	37.76	429	162	37.76	–	–	–
28	Gaurela Pendra Marvahi	166	100	60.24	–	–	–	166	100	60.24
Total		**11664**	**5950**	**51.01**	**6032**	**3315**	**54.95**	**5632**	**2635**	**46.78**

Source: Fourth State Finance Commission

Annexure 7.2

Availability of Private and Public toilets in Panchayat areas

Sn	Districts	Status of Gram Panchayats at State level		Status of Non-Scheduled Gram Panchayats		Status of Scheduled Gram Panchayats	
		Percentage of household with Private toilets	Percentage of availability of Public toilets in GPs	Percentage of household with Private toilets	Percentage of availability of Public toilets in GPs	Percentage of household with Private toilets	Percentage of availability of Public toilets in GPs
1	Bastar	94.13	79.55	—	—	94.13	79.55
2	Bilaspur	87.13	73.10	87.09	73.10	—	—
3	Dantewada	65.36	96.39	—	—	65.36	96.39
4	Dhamtari	94.58	97.44	93.33	98.29	98.82	94.92
5	Durg	97.06	98.13	97.06	98.13	—	—
6	Janjgir Champa	50.96	65.34	50.96	65.34	—	—
7	Jashpur	98.67	92.16	—	—	98.67	92.16
8	Kanker	94.23	81.88	—	—	94.23	81.88
9	Kabirdham	88.31	78.61	88.31	78.61	—	—
10	Korba	90.38	78.98	—	—	90.38	78.98
11	Korea	89.29	68.64	—	—	89.29	68.64
12	Mahasamund	96.45	79.49	96.45	79.49	—	—
13	Raigarh	86.25	68.30	84.68	59.86	88.40	79.72
14	Raipur	94.30	74.27	94.30	74.27	—	—
15	Rajanandgaon	96.68	80.39	96.39	80.13	97.54	81.13
16	Surguja	89.70	89.24	—	—	89.70	89.24
17	Bijapur	41.06	52.17	—	—	41.06	52.17
18	Narayanpur	72.54	79.07	—	—	72.54	79.07
19	Sukma	55.49	81.25	—	—	55.49	81.25
20	Kondagaon	94.46	65.64	—	—	94.46	65.64
21	BalodaBazar	88.02	86.90	88.02	92	—	—
22	Gariyabandh	92.92	89.00	93.47	97.37	92.53	83.87
23	Balod	95.44	73.51	95.26	71.79	96.60	84.31
24	Mungali	83.43	78.71	83.43	78.71	—	—
25	Surajpur	94.46	82.80	—	—	94.46	82.80
26	Balrampur	88.66	58.45	—	—	88.66	58.45
27	Bemetara	93.20	81.48	93.20	81.48	—	—
28	Gaurela Pendra Marvahi	86.73	87.00	—	—	86.73	87.00
Total		**85.02**	**78.22**	**82.63**	**77.56**	**88.82**	**79.05**

Source: Fourth State Finance Commission

Annexure 7.3

Status of tap water scheme in rural panchayat area

S.no.	District	Status of Gram Panchayat of state level					Status of Non-Schedule GPS					Status of Schedule GPS				
				Reasons, why top water scheme is not operational					Reasons, why top water scheme is not operational							
		Percentage of GPS with Top Water	Percentage of GPS where Top Water is available but not operation	Non-payment of electriocity bill	Unavailability of maintenance amount	Other Reason	Percentage of GPS with Top Water	Percentage of GPS where Top Water is available but not operation	Non-payment of electriocity bill	Unavailability of maintenance amount	Other Reason	Percentage of GPS with Top Water	Percentage of GPS where Top Water is available but not operation	Non-payment of electriocity bill	Unavailability of maintenance amount	Other Reason
1	Bastar	71.2	26.6	48	36.0	24	-	-	-	-	-	71.2	26.6	48	36	24
2	Bilaspur	46.2	25.4	82.3	52.9	35.3	46.2	25.4	82.3	52.9	35.3	-	-	-	-	-
3	Dantewada	28.9	41.7	30	30	80	-	-	-	-	-	28.9	41.7	30	30	80
4	Dhamtari	87.6	14.6	46.7	40	30	94.3	11.5	52.6	47.4	26.3	67.8	27.5	36.4	27.3	36.4
5	Durg	76.2	21.3	15.4	23.1	76.9	76.2	21.3	15.4	23.1	76.9	-	-	-	-	-
6	Janjgir Champa	57.9	45.2	37.4	34.3	46.5	57.9	45.2	37.4	34.3	46.5	-	-	-	-	-
7	Jashpur	34.8	26.8	31.6	36.8	73.7	-	-	-	-	-	34.8	26.8	31.6	36.8	73.7
8	Kanker	13.5	53.8	51.4	28.6	37.1	-	-	-	-	-	47.1	53.8	51.4	28.6	37.1
9	Kabirdham	50	43.4	45.8	52.8	37.5	50	43.4	45.8	52.8	37.5	-	-	-	-	-
10	Korba	31.2	61.8	29.4	47.1	52.9	-	-	-	-	-	31.2	61.8	29.4	47.1	52.9
11	Korea	20.7	137.1	14.6	12.5	89.6	-	-	-	-	-	20.7	137.1	14.6	12.5	89.6
12	Mahasamund	66	20.9	48.8	34.9	32.6	66	20.9	48.8	34.9	32.6	-	-	-	-	-
13	Raigarh	69.5	24.5	55.1	46.4	23.2	58.2	22.8	53.8	56.4	30.8	51.1	27	56.7	33.3	13.3
14	Raipur	69.4	32.9	17	21.3	25.5	69.4	32.9	17	21.3	25.5	-	-	-	-	-
15	Rajanandgaon	84.8	22.5	41	34.6	32	86.4	24.1	34.9	27	27	80.2	17.6	66.7	66.7	53.3
16	Surguja	23.5	84.7	60	60	50	-	-	-	-	-	23.5	84.7	60	60	50
17	Bijapur	13.9	112	67.9	53.6	39.3	-	-	-	-	-	27.2	112	67.9	53.6	39.3
18	Narayanpur	26.7	47.8	100	54.5	45.4	-	-	-	-	-	26.7	47.8	100	54.5	45.4
19	Sukma	29.2	35.7	20	91.7	0	-	-	-	-	-	29.2	35.7	20	100	0
20	Kondagaon	20.9	61.8	61.9	28.6	23.8	-	-	-	-	-	20.9	61.8	61.9	28.6	23.8
21	BalodaBazar	40.3	35	17.0	43.9	26.8	40.3	35	46.3	43.9	26.8	-	-	-	-	-
22	Gariyabandh	66	21.2	28.6	21.4	64.3	84.2	28.1	22.2	22.2	55.6	54.8	14.7	40	20	80
23	Balod	68.9	29.4	32	26.7	42.7	72.1	28.3	32.3	24.6	41.5	49.0	40.0	30	40	50
24	Mungali	44.5	38.9	20	14.3	31.4	44.5	38.9	20	14.3	31.4	-	-	-	-	-
25	Surajpur	21.1	88.1	17.3	48.1	44.2	-	-	-	-	-	21.1	88.1	17.3	48.1	44.2
26	Balrampur	23.7	26.9	50	42.9	42.8	-	-	-	-	-	23.7	26.9	50	42.9	42.8
27	Bemetara	53.1	29.1	16	8	44	53.1	29.1	16	8	44	-	-	-	-	-
28	Gaurela Pendra Marvahi	30	26.1	42.9	42.9	28.6	&	&	&	&	&	30	23.3	42.9	42.9	28.6
Total		**50.6**	**34.2**	**39.6**	**36.7**	**41.5**	**62.6**	**28.9**	**37.2**	**33.8**	**37.3**	**35.5**	**46**	**43**	**40.7**	**47.4**

Source – Public Health and Engineering Deptt. Govt. Of C.G.

Annexure 7.4

Set of Criteria for water Quality

sn	Criteria	Unit	Accepatable range	Permissible limit
1	Ph Value	-	6.5—8.5	No relaxation
2	Completely Dissolved Solids	Mg/L	500	2000
3	Dirt	NTU	1	5
4	Chloride	Mg/L	250	1000
5	Absolute alkalinity	Mg/L	200	600
6	Absolute Salinity	Mg/L	200	600
7	Sulphate	Mg/L	200	400
8	Iron	Mg/L	1.0	No relaxation
9	Absolute arsenic	Mg/L	0.01	No relaxation
10	Fluoride	Mg/L	1.0	1.5
11	Nitrate	Mg/L	45	No relaxation
12	Complete Caliform bacteria	Should not be detectable in any 100 ml sample		

Source: Public health and engineering Deptt. C.G. Govt.

Annexure 7.5

Progress of Jal Jivan Mission					
SN	District	Total Number of rural households till (01-04-2023)	Number of households with PWS Connection till (01-04-2023)	Total Domestic Connection reported till (24-08-2023)	Percentage of total household connection with PWS Connection till (24-08-2023)
1	Sarangarh Bilaigarh	162580	32411	62554	38.48
2	Jashpur	212778	60063	89017	41.84
3	Korba	206953	56060	88296	42.66
4	Balarampur	197552	55766	90039	45.58
5	Sukma	66312	20426	30646	46.21
6	Sarguja	185930	54632	87208	46.9
7	Gaurala Pendra Marwahi	84537	24297	39842	47.13
8	Bijapur	56225	21356	26620	47.35
9	Mohla Manpur Chowki	64593	23385	31044	48.06
10	Kanker	151065	60095	74328	49.2
11	Surajpur	164515	53419	81268	49.4
12	Bastar	169463	57977	84928	50.12
13	Bilaspur	246673	91653	125583	50.91
14	Dantewada	50732	19582	25880	51.01
15	Manendragarh Chirimiri	83350	29471	44204	53.03
16	Raigarh	242821	99815	129404	53.29
17	BalodaBazar	231664	87992	124347	53.68
18	Korea	51910	22187	28461	54.83
19	Narayanpur	30331	13062	17832	58.79
20	Gariyabandh	153558	70101	90991	59.26
21	Mahasamund	239342	96615	141915	59.29
22	Kondagaon	125593	50260	77791	61.94
23	Kabirdham	199294	99551	125048	62.75
24	Bemetara	177440	90051	114603	64.59
25	Balod	176182	80935	114696	65.1
26	Chhuikhadan Gandai	74169	35892	49393	66.6
27	Sakti	156663	77959	107790	68.8
28	Janjgir Champa	207156	103695	143921	69.47
29	Mungeli	166869	81004	118274	70.88
30	Rajnandgaon	156789	92936	113815	72.59
31	Durg	155801	89339	117233	75.25
32	Raipur	190001	124801	143947	75.76
33	Dhamtari	153734	115339	131807	85.74
Total		**4992575**	**2092127**	**2872725**	**57.54**

Source: Information received form the review meeting by the Finance Commission with PHE Deptt. Govt of C.G. (Dated 25-08-2023)

Annexure 7.6

Drainage and Solid Waste Disposal in rural panchayat area.

{Data in (%)}

S. No.	District	Status of GP at the state level		Status of Non-Scheduled GP		Status of Scheduled GP	
		Percentage of GP having drainage system	Percentage of GP having there is a system for taking away solid waste from home	Percentage of GP having drainage system	Percentage of GP having there is a system for taking away solid waste from home	Percentage of GP having drainage system	Percentage of GP having there is a system for taking away solid waste from home
1	Bastar	6.06	19.7	–	–	65.9	19.7
2	Bilaspur	67.6	40.7	67.6	40.7	–	–
3	Dantewada	31.3	19.3	–	–	31.3	19.3
4	Dhamtari	73.9	35.9	82.9	41.1	47.5	20.3
5	Durg	85.6	57.5	85.6	57.5	–	–
6	Janjgir Champa	65.1	21.4	65.1	21.4	–	–
7	Jashpur	68.1	32.8	–	–	68.1	32.8
8	Kanker	44.9	33.3	–	–	44.9	33.3
9	Kabirdham	13.5	25	61.1	25	–	–
10	Korba	59.7	29.5	–	–	59.7	29.5
11	Korea	27.2	23.1	–	–	27.2	23.1
12	Mahasamund	57	19.5	57	19.5	–	–
13	Raigarh	66.3	34	71.8	34	59	34.1
14	Raipur	69.5	36.4	79.1	36.4	–	–
15	Rajanandgaon	72.8	18.9	74.5	17.5	67.9	22.6
16	Surguja	61	12.3	–	–	61	12.3
17	Bijapur	6.5	4.3	–	–	6.5	4.3
18	Narayanpur	13.9	32.6	–	–	20.9	32.6
19	Sukma	16.7	14.6	–	–	16.7	14.6
20	Kondagaon	19.6	9.8	–	91ण7	19.6	9.8
21	BalodaBazar	51	34.8	51	34.8	–	–
22	Gariyabandh	56	22	17.0	18.4	45.2	24.2
23	Balod	72.7	26.5	73.7	24.4	66.7	39.2
24	Mungali	58.9	15.8	58.9	15.8	–	–
25	Surajpur	43.7	22.2	–	–	43.7	22.2
26	Balrampur	34.2	26.9	–	–	34.2	26.9
27	Bemetara	59.3	22.8	59.3	22.8	–	–
28	Gaurela Pendra Marvahi	48	22	–	–	48	22
	Total	**58**	**26.1**	**67.3**	**28.1**	**46.2**	**23.5**

Source - Fourth Finance Commission

Annexure 7.7

Status of Street light in Panchayat area

S. No.	District	Status of GP at the state level						Status of Non-Scheduled GP						Status of Scheduled GP					
				Reason of Non-Operation						Reason of Non-Operation						Reason of Non-Operation			
		Percentage of GP with Street	Percentage of GP where street light available but not perational	Non-Payment of electricity bill	Unavailability of Maintenance Amount	Other Reason	More than one Reason	Percentage of GP with Street	Percentage of GP where street light available but not perational	Non-Payment of electricity bill	Unavailability of Maintenance Amount	Other Reason	More than one Reason	Percentage of GP with Street	Percentage of GP where street light available but not perational	Non-Payment of electricity bill	Unavailability of Maintenance Amount	Other Reason	More than one Reason
1	Bastar	56.1	23.5	3.2	74.2	16.1	6.4	–	–	–	–	–	–	56.1	23.5	3.2	74.2	16.1	6.4
2	Bilaspur	26.2	29	19	64.3	14.3	2.4	26.2	29	19	64.3	14.3	2.4	–	–	–	–	–	–
3	Dantewada	10.8	67.5	3.6	5.4	85.7	5.4	–	–	–	–	–	–	10.8	67.6	3.6	5.4	85.7	5.4
4	Dhamtari	77.3	4.3	0	30	40	30	82.9	1.7	0	0	66.7	33.3	61	11.9	0	42.8	28.6	28.6
5	Durg	91.9	1.9	0	66.7	33.3	0	91.9	1.9	0	66.7	33.3	0	–	–	–	–	–	–
6	Janjgir Champa	57.9	16.4	6.4	22.6	33.9	37.1	57.9	16.4	6.4	22.6	33.9	37.1	–	–	–	–	–	–
7	Jashpur	33.3	24	18.4	46.9	26.5	8.2	–	–	–	–	–	–	33.3	24	18.4	46.9	26.5	8.2
8	Kanker	13.5	12.3	11.8	47.1	41.2	0	–	–	–	–	–	–	37	12.3	11.8	47.1	41.2	0
9	Kabirdham	21.4	32.5	10.2	25.9	36.1	27.8	21.4	32.5	10.2	25.9	36.1	27.8	–	–	–	–	–	–
10	Korba	65.9	20.4	8.3	27.8	41.7	22.2	–	–	–	–	–	–	65.9	20.4	8.3	27.8	41.7	22.2
11	Korea	17.7	48.5	2.4	19.5	73.2	4.9	–	–	–	–	–	–	17.7	48.5	2.4	19.5	73.2	4.9
12	Mahasamund	54.5	7	4.5	40.9	31.8	22.7	54.5	7	4.5	40.9	31.8	22.7	–	–	–	–	–	–
13	Raigarh	69.5	11	0	71.4	12.5	16.1	75.2	12.2	0	75	5.6	19.4	61.7	9.2	0	65	25	10
14	Raipur	74.3	7.8	12.5	56.2	18.7	12.5	74.3	7.8	12.5	56.2	18.7	12.5	–	–	–	–	–	–
15	Rajanandgaon	54.9	15.2	11.3	32.3	32.3	24.2	56	13.2	12.5	42.5	32.5	12.5	51.9	20.7	9.1	13.6	31.8	48.4
16	Surguja	49	27.5	11.6	49.3	18.8	20.3	–	–	–	–	–	–	49	27.5	11.6	49.3	18.8	20.3
17	Bijapur	13.9	28.3	3.8	11.5	53.8	30.8	–	–	–	–	–	–	30.4	28.3	3.8	11.5	53.8	30.8
18	Narayanpur	45.3	40.7	0	48.6	48.6	2.9	–	–	–	–	–	–	45.3	40.7	0	48.6	48.4	2.9
19	Sukma	31.2	25	0	91.7	8.3	0	–	–	–	–	–	–	31.2	25	0	81.7	8.3	0
20	Kondagaon	36.8	11.7	26.3	21	15.8	36.8	–	–	–	–	–	–	36.8	11.7	26.3	21	15.8	36.8
21	BalodaBazar	56.9	3.8	17.0	36.4	18.2	27.3	56.9	3.8	18.2	36.4	18.2	27.3	–	–	–	–	–	–
22	Gariyabandh	45	15	13.3	40	40	6.7	57.9	21	12.5	50	37.5	0	37.1	11.3	14.3	28.6	42.9	14.3
23	Balod	88.4	4.3	6.2	18.7	37.5	37.5	89.7	4.1	7.7	15.4	49.0	38.5	80.4	5.9	0	33.3	33.3	33.3
24	Mungali	25.7	18.3	8.1	75.7	2.7	13.5	25.7	18.3	8.1	75.7	2.7	13.5	–	–	–	–	–	–
25	Surajpur	31.9	50.2	5.7	40	35	19.3	–	–	–	–	–	–	31.9	50.2	5.7	40	33	12.3
26	Balrampur	16.9	56.2	32.5	48.8	10.6	8.1	–	–	–	–	–	–	16.9	56.2	32.5	48.6	10.6	8.1
27	Bemetara	80.2	3.1	20	40	20	20	80.2	3.1	20	40	20	20	–	–	–	–	–	–
28	Gaurela Pendra Marvahi	33	26.1	11.4	74.3	14.3	0	–	–	–	–	–	–	33	35	11.4	74.3	14.3	0
	Total	51.2	20.1	10.6	40.9	32.4	16.1	60	12.2	9.6	42.6	26.1	21.7	40.3	29.3	11.1	40	35.6	13.2

Source - Fourth Finance Commission

Annexure 7.8

Anganwadi and Mitanni in Panchayat area

Sn	District	Status of GP at state level			Status of Non-Scheduled GP			Status of Scheduled GP		
		Average number of anganwadi per GP	Percentage of more than one Anganwadi in GP	Percentage fo GP having Mitanin facility	Average number of anganwadi per GP	Percentage of more than one Anganwadi in GP	Percentage fo GP having Mitanin facility	Average number of anganwadi per GP	Percentage of more than one Anganwadi in GP	Percentage fo GP having Mitanin facility
1	Bastar	4.5	99.2	96.2	–	–	–	4.5	99.2	96.2
2	Bilaspur	6.1	93.8	98.6	3.0	93.8	98.6	–	–	–
3	Dantewada	7.8	97.6	95.2	–	–	–	7.8	97.6	95.2
4	Dhamtari	2.6	92.3	94.0	2.5	92	93.7	3.1	93.2	94.9
5	Durg	3.0	93.7	96.9	–	–	–	–	–	–
6	Janjgir Champa	2.9	90.7	97.3	2.9	90.7	97.3	–	–	–
7	Jashpur	8.7	100.0	97.1	–	–	–	8.7	100	97.1
8	Kanker	4.2	99.3	97.8	–	–	–	4.2	99.3	97.8
9	Kabirdham	3.5	98.2	93.7	3.5	98.2	93.7	–	–	–
10	Korba	13.5	100.0	99.4	–	–	–	5.6	100	99.4
11	Korea	4.4	97.0	95.9	–	–	–	4.4	97.0	95.9
12	Mahasamund	4.6	96.8	96.8	4.6	96.8	96.8	–	–	–
13	Raigarh	3.7	96.9	95.9	3.0	95.6	96.6	4.7	98.6	94.9
14	Raipur	4.0	92.2	98.1	4.0	92.2	98.1	–	–	–
15	Rajanandgaon	69.5	97.3	95.6	3.3	96.4	99.0	4.5	100	85.5
16	Surguja	5.5	99.2	97.6	–	–	–	5.5	99.2	97.6
17	Bijapur	6.0	100.0	88.0	–	–	–	6.0	100	88.0
18	Narayanpur	4.2	93.0	83.7	–	–	–	4.2	93.0	83.7
19	Sukma	13.9	100.0	95.8	–	–	–	5.9	100	95.8
20	Kondagaon	4.6	98.2	97.5	–	–	–	4.6	98.2	97.5
21	BalodaBazar	2.7	86.2	97.6	91.7	86.2	97.6	–	–	–
22	Gariyabandh	3.6	97.2	94.0	3.5	100	94.7	3.7	95.2	93.5
23	Balod	3.7	97.3	17.0	3.5	96.9	99.1	4.7	100	92.0
24	Mungali	2.7	93.1	97.5	2.7	93.1	97.5	–	–	–
25	Surajpur	4.3	96.1	96.1	–	–	–	4.3	96.1	96.1
26	Balrampur	6.1	98.6	95.9	–	–	–	6.1	98.6	95.9
27	Bemetara	3.3	83.3	100.0	3.3	83.3	100	–	–	–
28	Gaurela Pendra Marvahi	5.0	100.0	92.0	–	–	–	5.0	100	92.0
Total		**4.2**	**95.6**	**96.3**	**3.3**	**93.5**	**97.2**	**5.3**	**98.3**	**95.1**

Source: Fourth State Finance Commission

Annexure 7.9

Availability of Schools in Panchayat Ares

(Data in %)

S.No.	District	Status of Gram Panchayt at School Level				Status of Non-Schedule Gram Panchayt				Status of Schedule Gram Panchayt			
		Gram Panchayt, Only Primary School	Gram Panchayt, Only Primary & Middle School	Gram Panchayt, Only Primary, Middle & High School	Gram Panchayt, Only Primary, Middle, High & Higher Secondary School	Gram Panchayt, Only Primary School	Gram Panchayt, Only Primary & Middle School	Gram Panchayt, Only Primary, Middle & High School	Gram Panchayt, Only Primary, Middle, High & Higher Secondary School	Gram Panchayt, Only Primary School	Gram Panchayt, Only Primary & Middle School	Gram Panchayt, Only Primary, Middle & High School	Gram Panchayt, Only Primary, Middle, High & Higher Secondary School
1	Bastar	6.1	62.9	13.6	12.9	–	–	–	–	6.1	62.9	13.6	12.9
2	Bilaspur	15.2	44.8	22.8	15.9	15.2	44.8	22.8	15.9	–	–	–	–
3	Dantewada	7.2	55.4	21.7	8.4	–	–	–	–	7.2	55.4	21.7	8.4
4	Dhamtari	4.7	51.3	17.9	25.2	4.0	46.9	18.9	29.1	6.8	64.4	15.2	13.6
5	Durg	26.9	41.2	11.9	18.1	26.9	41.2	11.9	18.1	–	–	–	–
6	Janjgir Champa	5.8	54.2	19.3	17.7	5.8	54.2	19.3	17.7	–	–	–	–
7	Jashpur	17.2	52.4	17.2	11.8	–	–	–	–	17.2	52.4	17.2	11.8
8	Kanker	3.6	44.9	19.6	21.0	–	–	–	–	3.6	44.9	19.6	21.0
9	Kabirdham	13.5	58.7	14.5	12.3	13.5	58.7	14.5	12.3	–	–	–	–
10	Korba	11.4	59.1	17.6	9.7	–	–	–	–	11.4	59.1	17.6	9.7
11	Korea	11.8	51.5	21.3	13.6	–	–	–	–	11.8	51.5	21.3	13.6
12	Mahasamund	19.2	49.4	13.1	17.3	19.2	49.4	13.1	17.3	–	–	–	–
13	Raigarh	12.3	57.7	15.3	12.5	15.3	60.5	10.5	12.6	8.3	53.9	21.7	12.4
14	Raipur	69.5	52.4	11.2	15.0	17.5	12.4	11.2	15.0	–	–	–	–
15	Rajanandgaon	17.4	47.8	15.2	17.4	19.9	47.0	15.2	15.6	1.4	50.0	15.1	22.6
16	Surguja	6.4	59.0	23.5	8.8	–	–	–	–	6.4	59.0	23.5	8.8
17	Bijapur	37.0	37.0	14.1	7.6	–	–	–	–	37.0	37.0	14.1	7.6
18	Narayanpur	13.9	60.5	9.3	12.8	–	–	–	–	13.9	60.5	9.3	12.8
19	Sukma	31.2	58.3	6.2	4.2	–	–	–	–	31.2	58.3	6.2	4.2
20	Kondagaon	6.1	54.0	20.2	91.7	–	–	–	–	6.1	54.0	20.2	15.3
21	BalodaBazar	16.9	45.2	16.5	19.7	16.9	45.2	16.5	19.7	–	–	–	–
22	Gariyabandh	7.0	61.0	17.0	13.0	7.9	55.3	18.4	15.8	6.4	64.5	16.1	11.3
23	Balod	20.5	44.0	13.0	21.1	21.9	43.3	11.6	21.9	12.0	48.0	22.0	16.0
24	Mungali	31.2	33.7	21.8	9.4	31.2	33.7	21.8	9.4	–	–	–	–
25	Surajpur	14.3	55.2	15.0	10.7	–	–	–	–	14.3	55.2	15.0	10.7
26	Balrampur	14.6	59.8	10.5	13.2	–	–	–	–	14.6	59.8	10.5	13.2
27	Bemetara	22.2	40.1	17.9	19.1	22.2	40.1	17.9	9.1	–	–	–	–
28	Gaurela Pendra Marvahi	10.0	54.0	19.0	14.0	–	–	–	–	10.0	54.0	19.0	14.0
	Total	**14.6**	**51.6**	**16.3**	**15**	**16.9**	**48.8**	**15.4**	**17**	**11.6**	**55**	**17.4**	**12.6**

Source - Fourth State Finance Commission

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 16, 1932)

क्रमांक-12504/वि. स./विधान/2010 .—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 25 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह 01 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होगा.

धारा 25 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

" (पांच) आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10 % अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा. "

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. "छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के अधीन आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) अधिरोपित किया जाता है. राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्माण के अनुसार, स्थानीय निकायों के संसाधन में वृद्धि करने हेतु आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10 % अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा. "

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर

दिनांक 30 नवम्बर, 2010

" संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा-25 का सुसंगत उद्धरण-

* * * * * * * * * * * * * * *

धारा-25 आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क :-

उप-धारा (1) :- यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो यथास्थिति आबकारी शुल्क या कोई प्रतिशुल्क औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955) की अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियों से भिन्न आबकारी शुल्क योग्य समस्त ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहित किया जाएगा.

(ए) जिनका आयात किया गया हो, या

(बी) जिनका निर्यात किया गया हो, या

(सी) जिनका परिवहन किया गया हो, या

(डी) जो धारा 13 के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित की गई हों, खेती में उपजाई गई हों अथवा संग्रहित की गई हों, या

(ई) जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई किसी आसवनी में या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त की गई किसी आसवनी या मद्य निर्माण शाला में विनिर्मित की गई हो ;

परन्तु राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि, वह आबकारी शुल्क योग्य किसी भी वस्तु को किसी ऐसे शुल्क से, जिसके लिये कि, वह इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन हो छूट दे.

उप-धारा (2) :- उप-धारा (1) के अधीन शुल्क का अधिरोपण :-

(एक) उस स्थान के, जहां किसी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु को ले जाया जाना है, या

(दो) आबकारी शुल्क-योग्य वस्तु की शक्ति (स्ट्रेन्थ) और उसकी क्वालिटी के, या

(तीन) आबकारी शुल्क-योग्य वस्तु का विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग के अनुसार विभिन्न दरों से किया जा सकेगा, या

(चार) ऐसे सिद्धान्तों पर, जो कि विहित किये जाएं, आधारित आबकारी शुल्क-योग्य वस्तुओं के मूल्य के.

* * * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

GOVERNMENT OF ODISHA
PANCHAYATI RAJ & DRINKING WATER
DEPARTMENT

ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଭବନ
ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୦୧

Odisha Lokseva Bhawan
Sachibalaya Marg, Bhubaneswar-751 001
e.mail: prsec.or@nic.in

No. 9252 / Date 05.06.2020
PR-SFC-POLICY-0002-2020

From
Shri Deoranjan Kumar Singh, IAS
Principal Secretary to Government.

To
All Collectors
All Project Directors, DRDAs

Sub:- Guidelines on Utilization of Devolution of funds recommended by the 5th State Finance Commission to 3 Tier PRIs for the period from 2020 - 21 to 2025 - 26 (6 years).

Madam / Sir,

I am directed to say that, on the recommendations of the 5th State Finance Commission and the Action Taken Report (ATR) thereof laid before the Odisha Legislative Assembly, the distribution of devolution of funds to 3 tier PRIs has been allowed in the ratio of 60:30:10 in favour of the Gram Panchayat, Panchayat Samaiti and Zilla Parishad respectively to be utilised on community felt need based projects. These projects are to be included in the GPDP of the Gram Panchayat, Annual Action Plan of the Panchayat Samiti and Annual Action Plan of the Zilla Parishad for the particular year. For proper monitoring of the expenditure, the 5 FES Application must be used which is integrated with PRIASOFT, PFMS and IFMS.

TOTAL DEVOLUTION OF FUNDS TRANSFER TO THE 3 TIER PRIs FOR THE PERIOD 2020-26.

(Rs. in crore)

PRIs	Total (Per Year)	Total Allocation (2020-21 to 2025-26)
Gram Panchayats	549.05	3294.30
Panchayat Samitis	274.53 (Tied 50% i.e. Rs.137.265 + Untied 50% i.e. Rs.137.265)	1647.18
Zilla Parishads	91.51	549.06
Grand Total	915.09	5490.54

30

V. MODE OF TRANSFER OF DEVOLUTION OF FUNDS AT Z.P. LEVEL:

The fund to be devolved to all Zilla Parishads comes to Rs. 549.06 crore for the period from 2020-21 to 2025-26 @ Rs.91.51 Cr. per annum. The distribution has been made to Zilla Parishads considering number of Panchayat Samities in the districts (i.e. @ Rs.29,14,331.00 per Panchayat Samiti x nos. of Panchayat Samiti in a Zilla Parishad). The allocation under Devolution of Funds on SFC to Zilla Parishad shall be transmitted to the approved SFC Account integrated in PRIASOFT with PFMS and IFMS.

5TH SFC DEVOLUTION TO THE ZILLA PARISHAD :

The funds under this head provided to the Zilla Parishad may be utilized as per local needs prioritising the works as detailed below:

1. For achieving the drinking water saturation plan of the district, new PWS/ augmentation of existing PWS (FHTC to rural household) may be taken up in convergence with other State Govt. Schemes like BASUDHA/ RIDF/ SFC, to meet O&M Cost of PWS in operation in District etc. Work may also be taken up with depositing money in the DWSM Account for making proper convergence planning.
2. Payment of Energy bill of Mega PWS operated in the District,
3. Sanitation and water supply works to the Govt. institutions transferred to Panchayati Raj & Drinking Water Department like District Headquarter Hospital, Sub-Divisional Hospitals, CHC / PHC, District Veterinary Hospital, +2 College etc.
4. Solid waste and liquid waste management in different Panchayat Samities.
5. New Construction and Maintenance of Govt. Higher Secondary Schools (Grades up to XII)
6. Repair and maintenance of Sub-Divisional Hospital.
7. Repair and maintenance of District Headquarter Hospital.
8. Other need based community driven projects as decided by the Zilla Parishad.

FUND ALLOCATION

Name of Scheme: **15th FC**

UNTIED Fund					
Year	No. of block	Rate	Total Allocation	No. of ZP member	Allocation per ZP member
202..-2.	5	2201272	1,10,06,360.00	14	7,86,168.57
Total			**1,10,06,360.00**		

TIED Fund					
Year	No. of block	Rate	Total Allocation	No. of ZP member	Allocation per ZP member
202. .2	5	3301910	1,65,09,550.00	14	11,79,253.57
Total			**1,65,09,550.00**		

Name of Scheme: **5th SFC**

DEVOLUTION FUND					
Year	No. of block	Rate	Total Allocation	No. of ZP member	Allocation per ZP member
202. -2.	5	2914331	1,45,71,655.00	14	10,40,832.50
Total			**1,45,71,655.00**		

Annexure 12.1

Data Required For Calculation Of Benchmarks And Information About Calculation Of Benchmarks

S. No.	Indicators	Unit	Data Requirement	Calculation Formula
1	2	3	4	5
1	Water Supply in All Habitations	Percentage	-No. of habitations in GPs -No. of habitations with water supply service	No of habitations with tap water facility / Total No. of habitations in GPs x 100
2	Tap water connection in all houses	Percentage	-No. of houses & houses with tap water in GPs	No. of houses with tap water / Total no. of houses x 100
3	Per capita water supply	Percentage	-Capacity of water tank in GPs -Population of GPs	Water tank capacity in GP / Population of GP
4	Daily & Regular supply of water	Percentage	Time of daily water supply	No. of days with timely water supply / Total days of water supply x 100
5	Monthly Payment of electricity bill related to water supply	Percentage	Information of electricity bill payment	No. of months with electricity bill payment / 12 Months x 100

Source – 4Th SFC Chhattisgarh

6	Clean water supply	Percentage	Data of water testing	No. of passed tests	/	No. of total tests	x	100
7	Cost recovery of water supply service	Percentage	-Maintenance expenses on water supply -Received amount from water tax	Water tax collection	/	Maintenance expenses on water supply	x	100
8	Availability of toilets in all houses of GPs	Percentage	-No. of houses with toilets -Total no. of houses	Houses with toilets	/	Total no. of houses	x	100
9	Usable toilets	Percentage	-No. of households with no toilets -No. of households with toilets	Houses with no toilets	/	Houses with toilets	x	100
10	Collection of garbage from all houses	Percentage	-Houses with garbage collection facility -Total no. of houses	Houses with garbage collection facility	/	Total no. of houses	x	100
11	Rational Disposal of collected garbage		Data related to garbage separation	Segregated waste	/	Total amt. of waste	x	100

12	Cost of solid waste management	Percentage	-Amount collected from sanitation tax -Maintenance expenses on sanitation tax	Sanitation tax collection	/	Maintenance expenses on sanitation tax	x	100
13	Availability of drains on both sides of all internal roads	Percentage	-Length of paved roads -Paved roads with both side range	Roads with both side drains	/	Total length of paved roads	x	100
14	State light facility in all paved & unpaved roads	Percentage	-Total length of paved/unpaved roads -Roads with street lights	Roads with street lights	/	Total length of paved unpaved roads	x	100
15	Regular monthly payment of street lights electricity bill	Percentage	-Monthly payment of street lights electricity bill	No. of months with electricity bill payment	/	12 months	x	100
16	Recovery of maintenance expenses on street lights	Percentage	-Recovery of maintenance expenses on street lights -Recovery amount of lighting tax	Collection with lighting tax	/	Total maintenance expenses on street lighting	x	100

Annexure 12.2

Estimated population of Chhattisgarh

Year	Total population	Urban		Rural	
		Population	Percentage	Population	Percentage
2011	25545000	5937000	23.24	19608000	76.76
2021	29493000	7810000	26.48	21683000	73.52
2025	30867000	8568000	27.76	22299000	72.24
2026	31211000	8763000	28.08	22448000	71.92
2027	31512000	8948000	28.40	22564000	71.60
2028	31814000	9135000	28.71	22679000	71.29
2029	32116000	9324000	29.03	22792000	70.97
2030	32417000	9515000	29.35	22902000	70.65

Source: Report of the Technical Group on Population Projection, National Commission on Population, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India, July 2020

Annexure 12.3

Calculation of required capita expenditure for gram panchayats

1- Per Capita street light expenditure				
Per GP requirement of total street lights	=	Per GP average length of roads	x	Distance between two electricity poles
	=	12350 meters (12.35 KM.)	/	50 Meter
	=	**247**		
Per GP total fund requirement	=	No. of street lights units	x	Per unit estimated cost
	=	247	x	1500
	=	**Rs. 370500**		
Per capita expenditure	=	Per GP required expenses	x	Per GP average population
	=	370500	/	1681
	=	**Rs. 220**		
2- **Per capita solid waste management expenditure**				
Per capita solid waste management expenditure	=	**Rs. 70** **(During 2017-18 to 2021-22, average capital expenditure of Rs. 70 has been done by GPs on solid west management. This estimation has been adopted for estimating the amt. for the award period)**		
3- Per capita expenditure on roads				
Per GP average unpaved roads	=	7.07 KM.		
Estimated Length of unpaved roads in GPs	=	No. of GPs	x	Per GP average length of unpaved roads
	=	11664	x	7-07 KM
	=	**82464.48 KM**		

Fund required for paving of unpaved roads	=	Estimated length of unpaved roads	x	Per KM Cost of CC road (3 M Wide X 6 Inch Thick)
	=	82464.48	x	Rs. 25 Lakh
	=	**Rs. 20616.12 Crore**		
Per capita cost of paving unpaved roads/streets	=	Total cost of paving unpaved roads	/	Rural population of CG as per census 2011
	=	Rs. 20616.12 Cr.	/	19608000
	=	**Rs. 10514**		
4- Per capita drain construction expenditure				
Per GP requirement of drain construction	=	7.07 KM on both sides of roads There are 7.07 KM unpaved roads in each GP which has to be paved		
Required length of drains	=	Total no. of GPs	x	Per GP average requirement of drain construction
	=	11664	x	7.07
	=	82464.48 KM.		
Fund required	=	Total length of drains	x	Per KM construction cost
	=	82464.48 Km	x	Rs. 20 Lakh per KM
	=	**Rs.16492.80 Cr.**		
Per capita required amount	=	Total required fund for drain construction	/	Rural population of CG as per census 2011
	=	Rs. 16492.80 Cr.	/	19608000
	=	**8411 Rs.**		

Annexure 12.4

Cost of Paving Unpaved Roads in Urban Bodies

(Amt. In Rs., Length in KM.)

SR. No.	Name Of Urban Body	Estimated Length Of Unpaved Roads	Estimated Length Of Paved Roads	Estimated Length Of Roads	Construction Cost For Pavement Of Unpaved Roads	Estimated Construction Cost For Unpaved Roads
1	Nagar Nigam	1232	4838	6070	5.50	6776.00
2	Nagar Palika	166	1726	1892	5.50	912.15
3	Nagar Panchayat	505	2503	3008	5.50	2778.29
	Total	**1903**	**9067**	**10970**		**10466.44**

Annexure 12.5

Construction Cost of Roads Without Drains

(Amt. In Cr. Rs., Length in KM.)

SR. No.	Name of Urban Bodie	Estimated Length of Roads	% Of Roads with Drains	% Of Roads Without Drains	Length of Roads Without Drains	Per KM Construction Cost	Cost of Outstanding Drains
1	Nagar Nigam	6070	87.25	12.75	774	3.50	2321.78
2	Nagar Palika	1892	73.70	26.30	498	3.50	1492.79
3	Nagar Panchayat	3008	54.71	45.29	1362	3.50	4086.97
	Total	**10970**	**76.65**	**23.35**	**2634**		**9218.45**

Annexure 12.6

Cost of Street lighting In Roads Without Street Lights

(Amt. In Rs., Length in KM.)

SR. No.	Name Of Urban Bodie	Estimated Length Of Roads	% Of Roads With Street Lights	% Of Roads With out Street Lights	Length Of Roads With out Street Lights	Per KM. No. Of Street Lights	No. Of Total Required Street Lights	Cost On Each Street Lights	Total Cost Of Required Street Lights
1	Nagar Nigam	6070	79.74	20.26	1230	25	30750	2000	61500000
2	Nagar Palika	1892	76.83	23.17	438	25	10950	2000	21900000
3	Nagar Panchayat	3008	77.51	22.49	676	25	16900	2000	33800000
	Total	**10970**	**78.61**	21.39	**2344**		**58600**		**117200000**

1 Per KM. Estimated 25 Poles/Lights

Annexure 12.7

Required Capital Expenditure for Additional Population of Urban Bodies

(Amt. In Rs.,)

Per Capita Capital Expenditure	Total Population Of Urban Bodies In 2011	Estimated Population In 2025	Additional Population Between 2021 To 2025	Required Capital Expenditure For Additional Population
27257	5937000	95,15,000	35,78,000	9752,55,00,000

Source – 4[Th] SFC Chhattisgarh

Annexure 12.8

Receipts of PRIs From Own Sources

(Amt. In Cr Rs.,)

SR. No.	Description	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	Sum	Average Of 5 Years	Own Source Average Income	Total Estimated Receipt
1	Gram Panchayat	29.45	31.47	34.04	33.77	34	162.73	32.55	0.01	63.78
2	Janpad Panchayat	3.8	3.2	4.00	2.28	3.7	16.98	3.40	0.03	4.96
3	Zila Panchayat	0.2	0.05	0.06	0.06	0.06	0.43	0.09	0.00	0.13
Total		**33.45**	**34.72**	**38.10**	**36.11**	**37.76**	**180.14**	**36.03**	**0.04**	**68.86**

Source – 4^{Th} SFC Chhattisgarh

Annexure 12.9

Actual Receipts of PRIs In Other Heads (Excluding Income from Own Sources)

(Amt. In Cr. Rs.,)

SR. No..	Description	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Total	Average Annual Receipts
1	Assigned Receipts	274.77	61.81	183.17	176.13	314.17	**1010.05**	**202.01**
2	Grants	-	-	-	-	-	-	-
3	Receipts On The Recommendation Of SFC	945.72	839.07	748.47	617.93	880.26	**4031.44**	**806.29**
4	Receipts On The Recommendation Of CFC	1022.18	1047.86	1415.89	1454.00	1075.00	**6014.93**	**1202.99**
	Total	**2242.67**	**1948.74**	**2347.53**	**2248.06**	**2269.43**	**11056.42**	**2211.28**

Source – 4Th SFC Chhattisgarh

Annexure 12.10

Projected Receipts of PRIs During 2025-26 to 29-30

(Amt. In Cr. Rs.,)

SR. No.	Description	Average Annual Receipts In 5 Years (2017 To 22)	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	Sum (2025-26 To 2029-30)
1	Income From Own Sources	68.86	75.75	83.32	91.65	100.82	110.90	121.99	134.19	147.61	**615.50**
2	Assigned Receipts	202.01	222.21	244.43	268.88	295.76	325.34	357.87	393.66	433.03	**1805.66**
3	Grants										
Total		**270.87**	**297.96**	**327.75**	**360.53**	**396.58**	**436.24**	**479.86**	**527.85**	**580.63**	**2421.17**
4	Receipts On The Recommendation Of SFC	806.29	886.92	975.61	1073.17	1180.49	1298.54	1428.39	1571.23	1728.35	**7207.00**
5	Receipts On The Recommendation Of CFC	1202.99	1323.29	1455.62	1601.18	1761.30	1937.43	2131.17	2344.29	2578.72	**10752.90**
Total		**2280.15**	**2508.17**	**2758.98**	**3034.88**	**3338.37**	**3672.20**	**4039.42**	**4443.37**	**4887.70**	**20381.07**

Source – 4Th SFC Chhattisgarh

Annexure 12.11

Total Income of Urban Bodies from Their Own Sources

(Amt. In Cr. Rs.,)

SR. No.	Description	Income from Own Sources							No. Of Sample Bodies	Average Income Local Bodies from Own Sources	Total No. Of Bodies	Total Estimated Income from Own Sources
		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	Total	5 Years Average				
1	Nagar Nigam	279.89	287.23	275.03	303.73	359.08	1504.96	300.992	7	43.00	14	601.98
2	Nagar Palika	44.99	41.58	37.21	48.49	48.13	220.4	44.08	26	1.70	44	74.60
3	Nagar Panchayat	22.27	22.37	18.87	23.58	24.64	111.73	22.346	49	0.46	112	51.08
	Total	**347.15**	**351.18**	**331.11**	**375.8**	**431.85**	**1837.09**	**367.418**	**82**	**45.15**	**170**	**727.66**

Source – 4Th SFC Chhattisgarh

Annexure 12.12

Actual Receipts of Local Bodies in Other Heads During 2017-18 To 2021-22
(Excluding Income from Own Sources)

(Amt. In Cr. Rs.)

SR. No.	Description	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Total	Annual Average Receipts
1	Assigned Receipts	75.55	49.02	71.98	77.42	102.45	**376.42**	**75.28**
2	Grants	1275.56	840.14	1048.97	1048.97	1010.31	**5223.96**	**1044.79**
	Total (1+2)	1351.11	889.16	1120.95	1126.40	1112.76	**5600.38**	**1120.08**
3	Receipts on The Recommendation Of SFC	441.55	299.76	320.73	441.62	451.45	**1955.11**	**391.02**
4	Receipts on The Recommendation Of CFC	243.80	282.04	451.56	403.50	530.00	**1910.90**	**382.18**
	Total Amt.	**2036.46**	**1470.95**	**1893.25**	**1971.52**	**2094.21**	**9466.39**	**1893.28**

Source – 4Th SFC Chhattisgarh

Annexure 12.13

Projected Receipts of Urban Bodies From 2025-26 To 2029-30 Under Various Heads

(Amt. In Cr. Rs.)

SR. NO.	Description	Average Annual Receipts In 5	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	2028–29	2029–30	Total (2025-26 To 2029-30)
1	Income From Own Sources	727.66	800.43	880.47	968.52	1065.37	1171.90	1289.09	1418.00	1559.80	**6504.17**
2	Assigned Receipts And Grants	1120.07	1232.08	1355.29	1490.82	1639.9	1803.88	1984.27	2182.7	2400.97	**15209.98**
3	Receipts On The Recommendation Of SFC	391	430.10	473.11	520.42	572.46	629.71	692.68	761.95	838.14	**3494.94**
4	Receipts On The Recommendation Of CFC	382.18	420.40	462.44	508.68	559.55	615.50	677.06	744.76	819.24	**3416.11**
	Total	**2620.91**	**2883.00**	**3171.30**	**3488.43**	**3837.27**	**4221.00**	**4643.10**	**5107.41**	**5618.15**	**23426.94**

Source – 4Th SFC Chhattisgarh

Annexure 12.14

Receipt of Taxes/Cess Payables as Assigned receipted to Local Bodies

(Amt. In Cr. Rs.)

S. No.	Particular	Actual					Mid term			Projected value based on 10% annual increase					Sum
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	
1	Stamp Fee	69	73.74	126.79	136.9	172.45	189.7	208.67	229.54	252.49	277.74	305.51	336.06	369.67	1541.47
2	GST	4386.56	8203.41	7894.82	7925.01	9483.48	11795.96	13565.35	15600.15	17940.18	20631.21	23725.89	27284.77	31377.49	120959.54
3	72% Amount Of GST									1529.68	1682.64	1850.91	2036	2239.6	9338.83
4	Surcharge of Excise Duty	281.88	318.81	323.04	246.18	261.27	287.4	316.14	347.75	382.53	420.78	462.86	509.14	560.06	2335.36
5	Rural Development fund	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150
	Total	**4767.44**	**8625.95**	**8374.65**	**8338.1**	**9947.2**	**12303.06**	**14120.16**	**16207.44**	**2194.69**	**2411.16**	**2649.28**	**2911.2**	**3199.33**	**13365.66**

Source – 4^{Th} SFC Chhattisgarh

Annexure 12.15

List of Officials/Employees in Fourth State Finance Commission

1. Mr. Serjius Minj, Chairman
2. Mr. Satish Pandey, Secertary
3. Dr. J.s. Virdi, Joint Secretary
4. Ms. Payal Gupta, Research Officer
5. Mr. M.N. Rajurkar, PS to Chairman
6. Mr. Madhav hardevi, Writter
7. Mr. Ashok Kawade, Assi. Grade 2
8. Mr. Jaynendra Vaishnav Assi. Grade 3
9. Mr. Amit Pansari, Computer Operator
10. Mr. Girish Sahoo, Computer Operator
11. Mr. Shubham Pansari, Computer Operator
12. Mr. Deepak Jolhe, Driver
13. Mr Pramod Sahu, Driver
14. Mr. Gangadhar sahu, Driver
15. Mr. Chandrashekhar Verma, Peon
16. Mr. Ganeshwar Patel, Peon
17. Mr. Kaushik Bihari, Peon
18. Mr. Sandip Diwakar, Peon
19. Mr. Baisakhu Ram, Peon

…